संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1910)

THE UNITED PROVINCES EXCISE ACT, 1910

(U.P. Act No. IV of 1910)

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910[1]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1910)

सं० प्रा० अधिनियम संख्या 3, 1914

सं० प्रा० अधिनियम संख्या 1, 1915

सं० प्रा० अधिनियम संख्या 4, 1919

सं० प्रा० अधिनियम संख्या 2, 1923

सं० प्रा० अधिनियम संख्या 2, 1930

सं० प्रा० अधिनियम संख्या 3, 1941

सं० प्रा० अधिनियम संख्या 13, 1941

उ० प्र० अधिनियम संख्या 7, 1970

उ० प्र० अधिनियम संख्या 23, 1970

उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, 1971

उ० प्र० अधिनियम संख्या 6, 1972

उ० प्र० अधिनियम संख्या 30, 1972

उ० प्र० अधिनियम संख्या 13, 1973

उ० प्र० अधिनियम संख्या 18, 1974

उ० प्र० अधिनियम संख्या 05, 1976

उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 1978

उ० प्र० अधिनियम संख्या 30, 1978

उ० प्र० अधिनियम संख्या 13, 1979

उ० प्र० अधिनियम संख्या 23, 1983

उ० प्र० अधिनियम संख्या 23, 1984

उ० प्र० अधिनियम संख्या 07, 1985

उ० प्र० अधिनियम संख्या 19, 1986

उ० प्र० अधिनियम संख्या 05, 1989

उ० प्र० अधिनियम संख्या 01, 1990

उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1997

उ० प्र० अधिनियम संख्या 07, 1998

उ० प्र० अधिनियम संख्या 22, 1999

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए गजट 1909, भाग सात, पृष्ठ 106 देखिये ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या 13, 2000

उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 2001

उ० प्र० अधिनियम संख्या 04, 2018

उ० प्र० अधिनियम संख्या 22, 2018

द्वारा संशोधित

गवर्नमेन्ट आफ इंडिया (एडेप्टेशन आफ इंडियन लाज) आर्डर, 1937 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत।

एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत।

[लेफटीनेन्ट–गवर्नर ने 18 दिसम्बर, 1909 तथा गवर्नर जनरल ने 24 फरवरी, 1910 को स्वीकृत प्रदान की तथा इंडियन कौन्सिल्स ऐक्ट, 1860 की धारा 40 के अन्तर्गत 12 जून, 1910 को [1]प्रकाशित हुआ।]

मादक शराब तथा मादक भेषजों के आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, विक्रय तथा उसे कब्जे में रखने के सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्त में प्रवृत्त विधि को संहत ओर संशोधित करना इष्टकर है :

[2][तथा मद्य निषेध की नीति को प्रोत्साहित, प्रवृत्त तथा कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार की संयुक्त प्रान्त में या उसके किसी निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में शराब और मादक भेषजों के आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, विक्रय तथा कब्जे को निषिद्ध करने के लिए प्राधिकृत किया जाय :]

अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय–1

प्रारम्भिक तथा परिभाषायें

संक्षिप्त नाम

1–(1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 कहलाएगा, ओर

(2) इसका [3]विस्तार सम्पूर्ण [4][उत्तर प्रदेश] में होगा ।

अधिनियमितियों का निरसन निर्वचन

2–अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमितियाँ उसके स्तम्भ 4 में निर्दिष्ट सीमा तक निरसित की जाती है ।

आबकारी राजस्व

3–जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात विरूद्ध न हों, इस अधिनियम में ––

(1) "आबकारी राजस्व" का तात्पर्य उस राजस्व से है जो शराब अथवा मादक भेषजों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन आरोपित या आदिष्ट किसी शुल्क, फीस, कर, अर्थदण्ड (विधि न्यायालय द्वारा आरोपित अर्थदण्ड से भिन्न), या जब्ती से प्राप्त हो या प्राप्त होने योग्य हो ;

1. गजट 1910 भाग 7, पृष्ठ 51 देखिए ।

2. गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की धारा 93 द्वारा जैसा सं० प्रा० अधिनियम संख्या 13, 1943 द्वारा जारी रखा गया, के अन्तर्गत ग्रहण की गई शक्तियों का प्रयोग करके गवर्नर द्वारा तैयार किये गये सं० प्रा० अधिनियम संख्या 3, 1941 की धारा 2 द्वारा अन्तर्विष्ट।

3. इस अधिनियम का विस्तार इस सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित क्षेत्रों में, स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिनियम या आर्डर के अधीन किया गया है और इसे ऐसे क्षेत्रों में, स्तम्भ 3 में उल्लिखित विज्ञप्ति यदि कोई हो, के अधीन उस दिनांक से, जो प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के सामने स्तम्भ 4 में उल्लिखित हैं, प्रवृत्त किया गया है :

क्षेत्र	अधिनियम अथवा आदेश जिनके अन्तर्गत प्रसारित किए गए	विज्ञप्ति यदि कोई है, जिनके अन्तर्गत प्रभावी किया गया	तिथि जिससे प्रभावी किया गया
1	2	3	4
1 जिला रामपुर	यू०पी० ऐक्ट 12, 1950, धारा 3	–––	30 दिसम्बर, 1949
2 जिला बनारस	बनारस (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1940	सं० 3262 (1) 17, दिनांक 30 नवम्बर, 1949	30 नवम्बर, 1949
3 जिला टेहरी–गड़वाल	टेहरी–गढ़वाल (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1949	सं० 3262 (2) 27, दिनांक 30 नवम्बर, 1949	–तदैव–

4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 (दि यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित।

(2) "आबकारी अधिकारी" का तात्पर्य कलेक्टर या किसी ऐसे अधिकारी या व्यक्ति से है जो धारा 10 के अधीन नियुक्त या शक्तियों से विनिहित किया गया हों ; **"आबकारी अधिकारी"**

(3) "आबकारी आयुक्त" का तात्पर्य उस अधिकारी से है जो धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन [1][राज्य सरकार] द्वारा नियुक्त किया गया हो ; **"आबकारी आयुक्त"**

[2][(3–क) "उत्पाद–शुल्क" और "प्रति–शुल्क" का तात्पर्य, यथास्थिति, किसी ऐसे उत्पाद–शुल्क या प्रति–शुल्क से है जो संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 की [3][प्रविष्टि 51] में उल्लिखित है ;] **"उत्पाद–शुल्क" और "प्रति–शुल्क"**

[4][(4) "विनिर्माणशाला" का तात्पर्य आसवनी से भिन्न किसी एसी इकाई से है जहां भारत में निर्मित विदेशी शराब का निर्माण किया जाता है और बोतल में बन्द किया जाता हो।] **"विनिर्माणशाला"**

[5][(5) x x x] ; **"मजिस्ट्रेट"**

(6) "ताड़ी" का तात्पर्य किण्वित या अकिण्वित ऐसे रस से है जो नारियल, ताड़, खजूर या किसी अन्य प्रकार के "पाम" वृक्ष से निकाला गया हो ; **अधिनियम संख्या 1, 1872**

(7) "पचवई" का तात्पर्य किज्वित चावल, बाजरा या किसी अन्य अनाज, चाहें उसमें कोई अन्य द्रव मिश्रित हो अथवा नहीं, तथा उससे प्राप्त किसी द्रव से है, चाहें वह अवमिश्रित हो अथवा अवमिश्रित न हों ; **"पचवई"**

(8) "स्प्रिट" का तात्पर्य किसी ऐसी शराब से है, जिसमें आसवन द्वारा प्राप्त अलकोहल विद्यमान हो, चाहें वह विकृत हो अथवा न हों ; **"स्प्रिट"**

[6][(9) "विकृत" का तात्पर्य मानव उपभोग के अयोग्य ऐसी रीति से बना देने से है जिसे (राज्य सरकार)[1] अधिसूचना द्वारा तदर्थ विहित करें। जब यह सिद्ध कर दिया जाय कि किसी स्प्रिट में कोई पदार्थ किसी ऐसे परिणाम में विद्यमान है जो विकृतीकरण के प्रयोजनार्थ [1][राज्य सरकार] द्वारा विहित किया गया हो, तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि ऐसी स्प्रिट विकृत स्प्रिट है या उसमें विकृत स्प्रिट विद्यमान है या वह विकृत स्प्रिट से प्राप्त की गई है]; **"विकृत"**

(10) "बियर" में एल, स्टाउट, पोर्टर तथा माल्ट से बनी अन्य सभी किण्वित शराब सम्मिलित है ; **"बियर"**

(11) "शराब" का तात्पर्य मादक शराब से है ओर इसके अन्तर्गत वाइन की स्प्रिट, स्प्रिट, वाइन, ताड़ी, पचवई, बियर और वे सभी द्रव जिनमें अलकोहल सम्मिलित या विद्यमान हो तथा कोई ऐसा पदार्थ भी है जिसे [1][राज्य सरकार] इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा शराब घोषित करे ; **"शराब"**

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।
2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा अन्तर्विष्ट ।
3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (आइटम 40) तथा (गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935) कें लिये प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 1997 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 09, 1978 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 01, 1915 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[(12) "मादक भेषज" का तात्पर्य निम्नलिखित से है —— **"मादकभेषज"**

(1) भांग (कैनेबिस सैटाइवा एल) के पौधे की पत्तियां, छोटे—छोटे डंठल तथा फूलों या फलों के शीर्ष भाग ओर इसमें उसके सभी रूप सम्मिलित हैं जो भांग या [1][सिद्धि] के नाम से ज्ञात हैं ;

(2) [2][X X X X]

(3) मादक भेषज के उपर्युक्त रूपों में से किसी रूप का, निष्प्राभावित पदार्थो के साथ या उनके बिना, कोई मिश्रण या उससे तैयार किया गया कोई पेय ; और

[3][(4) कोई मादक पदार्थ जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मादक औषधि घोषित करें।]

(13) [4]["मादक वस्तु"] का तात्पर्य इस अधिनियम में यथापरिभाषित किसी शराब या मादक भेषज से है ; **"मादक वस्तु"**

(14) [5][* * * *]

(15) [5][* * * *]

(16) व्याकरण सम्बन्धी परिवर्तनों सहित "विक्रय" में दान स्वरूप अन्तरण से भिन्न कोई अन्तरण सम्मिलित है ; **"विक्रय"**

(17) "आयात" का तात्पर्य (वाक्यांश [6][* * *] "भारत में आयात" के सिवाय) [7](उत्तर प्रदेश) में इस प्रकार लाने से है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथापरिभाषित सीमा—शुल्क सरहद को पार करके लाने से भिन्न हों ;] **"आयात"**

(18) ["निर्यात" का तात्पर्य [7][उत्तर प्रदेश] के बाहर इस प्रकार ले जाने से है जो [8][केन्द्रीय सरकार] द्वारा यथापरिभाषित सीमा—शुल्क सरहद को पार करके बाहर ले जाने से भिन्न हो ;] **"निर्यात"**

(19) "परिवहन" का तात्पर्य [7](उत्तर प्रदेश) के भीतर एक स्थानसे दूसरे स्थान को ले जाने से है ; **परिवहन**

(20) "निर्माण" में ऐसी प्रत्येक प्रक्रिया, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, सम्मिलित है जिसके द्वारा कोई [4][मादक वस्तु] उत्पादित या तैयार की जाय और इसमें पुनः आसवन तथा शराब के परिशोधन, सुस्वादकरण, सम्मिश्रण तथा रंजित करने की प्रत्येक क्रिया भी सम्मिलित है ; **"निर्माण"**

[9][(20—क) व्याकरण सम्बन्धी परिवर्तनों सहित, "खेती" का तात्पर्य बीज से किसी पौधे को उगाना है, और इसके अन्तर्गत पौधे के बढ़ने के दौरान में उसकी देख—भाल या उसका संरक्षण करना भी है ;] **"खेती"**

(21) "बोतल में बन्द करना" का तात्पर्य विक्रय के प्रयोजनों के लिए पीपे या अन्य बर्तन से बोतल या अन्य पात्र में अन्तरित करने से है चाहें इसमें परिशोधन की कोई प्रक्रिया प्रयुक्त हो अथवा नहीं ; तथा बोतल में बन्द करने के अन्तर्गत बोतल में फिर से बन्द करना भी सम्मिलित है ; **"बोतल में बन्द करना"**

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 4, 2018 की धारा 2क द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 4, 2018 की धारा 2ख द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 4, 2018 की धारा 2ग द्वारा प्रतिस्थापित।
4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (एक्साइजेबिल आर्टिकल) के लिये प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त द्वारा शब्द (ब्रिटिश) निकाला गया ।
6. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा शब्द (ब्रिटिश) निकाला गया।
7. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 ई0 द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित।
8. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 23, 1970 ई0 की धारा 2 द्वारा बढ़ायी गयी ।

(22) "स्थान" में मकान, भवन, दुकान [1][कमरा] बूथ, तम्बू तथा जलयान सम्मिलित हैं ; **"स्थान"**

[2][(22–क) "उत्पाद–शुल्करोप्य पदार्थ" का तात्पर्य निम्नलिखित से है –– **"उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थ"**

(क) मानव उपभोग के लिए कोई अलकोहलिक शराब ; या

(ख) कोई पितक लाने वाला भेषज ;]

(23) [3][* * * *]

राज्य सरकार की यह घोषित करने की शक्ति कि "शराब" किसे समझा जाय

4–(1) [4][राज्य सरकार] इस अधिनियम के या इसके किसी भाग के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा किसी भी वस्तु को "शराब" घोषित कर सकती है ।

(2) [4][राज्य सरकार] इसी प्रकार से ओर इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए यह भी घोषित कर सकती है कि क्रमशः "देशी शराब" और "विदेशी शराब" किसे समझा जाये

"देशी शराब" तथा "विदेशी शराब"

5– [5][* * * *]

फुटकर बिक्री की सीमा घोषित करने की राज्य सरकार की शक्ति

6–(1) [4][राज्य सरकार] अधिसूचना द्वारा या तो सम्पूर्ण [6][उत्तर प्रदेश] या उसमें समाविष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में ओर सामान्यतया क्रेताओं या क्रेताओं के किसी निर्दिष्ट वर्ग के विषय में, तथा सामान्यतया किसी निर्दिष्ट अवसर के लिए यह घोषित कर सकती है कि किसी [7][मादक वस्तु] की कितनी मात्रा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, फुटकर बिक्री की सीमा होगी ।

"थोक बिक्री"

(2) किसी [7][मादक वस्तु] की किसी मात्रा में बिक्री जो उस मात्रा से अधिक हो जिसे [4][राज्य सरकार] ने उपधारा (1) के अधीन फुटकर बिक्री की सीमा घोषित की हो, थोक बिक्री समझी जायगी।

पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में मादक वस्तु

7–जब कोई [7][मादक वस्तु] किसी व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में उक्त व्यक्ति के कारण हो तो उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति के कब्जे में समझा जायगा।

स्पष्टीकरण––लिपिक या सेवक के रूप में अस्थायी रूप से या किसी विशेष अवसर पर सेवायोजित कोई व्यक्ति इस धारा के अर्थान्तर्गत लिपिक या सेवक है ।

अधिनियमितियों का अपवाद

8–अनुसूची में उपबन्धित अवस्था को छोड़कर इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात सी कस्टम्स ऐक्ट, 1878, केन्टोनमेन्ट्स ऐक्ट, 1889 या इण्डियन टैरिफ ऐक्ट, 1894 ई० या उनके अधीन बनाए गए किसी नियम या दिए गए किसी आदेश के उपबन्धों पर प्रभाव न डालेगी ।

1. सं०प्रा० अधिनियम संख्या 4, 1919 ई० की धारा 2 द्वारा अन्तर्विष्ट ।
2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा धारा 3 की उपधारा (22–क) के लिये प्रतिस्थापित ।
3. अधिनियम संख्या 2, 1930 ई० की धारा 40 तथा अनुसूची 2 द्वारा निकाली गयी ।
4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।
5. अधिनियम संख्या 2, 1930 ई० की धारा 40 तथा अनुसूची 2 द्वारा निकाली गयी ।
6. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 ई० द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित ।
7. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 ई० द्वारा (एक्साइजेबिल आर्टिकल) के लिये प्रतिस्थापित ।

अध्याय–2
अधिष्ठान तथा नियन्त्रण

9–[1][* * * *]

10–(1) जब तक [2][राज्य सरकार] अन्यथा निर्देश न दे, किसी जिले में आबकारी विभाग का प्रशासन उस जिले के कलेक्टर के प्रभार में होगा। **जिलों में आबकारी विभाग का प्रशासन**

(2) [2][राज्य सरकार] सम्पूर्ण [3][उत्तर प्रदेश] पर या उसमें समाविष्ट किसी जिले या किसी स्थानीय क्षेत्र पर लागू होने वाली अधिसूचना द्वारा –– **राज्य सरकार की शक्ति**

(क) [4][कोई अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो एतद्पश्चात् आबकारी आयुक्त के रूप में अभिदिष्ट किया जायगा और जो [2][राज्य सरकार] के आदेशों के अधीन रहते हुए आबकारी विभाग के प्रशासन पर नियंत्रण रखेगा][4] ; **आबकारी आयुक्त नियुक्ति करने के विषय में**

(ख) [5][लाइसेंस देने वाली परिषद् संघटित कर सकती है या] आबकारी विभाग के प्रशासन के सम्बन्ध में या तो कलेक्टर के साथ–साथ या उसके अधीन या अपवर्जन में ऐसे नियंत्रण के अधीन रहते हुए जैसा कि [2][राज्य सरकार] निर्देश दे, कलेक्टर की समस्त या उनमें से किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा उसके समस्त या उनमें से किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए कलेक्टर से भिन्न किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है; **कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये व्यक्तियों की नियुक्ति करने के विषय में**

(ग) अधिकारी को धारा 48 तथा 64(क) में उल्लिखित कार्यों और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अधिकृत कर सकती है तथा अधिकारियों और व्यक्तियों को धारा 50 में उल्लिखित कार्यों और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अधिकृत कर सकती है। **अधिकारियों को कतिपय कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये अधिकृत किए जाने के विषय में**

(घ) इस अधिनियम के अधीन आबकारी विभाग के ऐसे वर्गो के अधिकारियों को तथा ऐसें पदनामों, शक्तियों ओर कर्तव्यों, सहित, जिन्हें [2][राज्य सरकार] उचित समझे, नियुक्त कर सकती है तथा उन क्षेत्रों को परिभाषित कर सकती है, जिनके भीतर ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन किया जा सकेगा ; **आबकारी विभाग के अधिकारीयों को नियुक्त किये जाने के विषय में**

(ङ) आदेश दे सकती है कि इस उपधारा के खण्ड (घ) के अधीन आबकारी विभाग के किसी अधिकारी को अभ्यर्पित समस्त शक्तियों या उनमें से किन्हीं शक्तियों तथा कर्तव्यों का इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए आबकारी विभाग के अधिकारी से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग और पालन किया जायगा ; **आबकारी अधिकारियों से भिन्न अधिकारियों द्वारा तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन किये जाने के आदेश का दिया जाना**

---

1. सं0 प्रा0 अधिनियम संख्या 2, 1923 ई0 की धारा 3 द्वारा निकाली गयी।
2. एडेप्टेशन ऑफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित।
3. एडेप्टेशन ऑफ लाज आर्डर, 1950 ई0 द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 2, 1923 ई0 की धारा 4 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. सं0 प्रा0 अधिनियम संख्या 2, 1923 ई0 की धारा 4(2) द्वारा अन्तर्विष्ट।

अपनी शक्तियों को प्रतिनिहित करने के विषय में

(च) नियम बनाने के सम्बन्ध में धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्ति के सिवाय इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त या उनमें से किन्हीं शक्तियों को [1][* * *] आबकारी आयुक्त को प्रतिनिहित कर सकती है ;

शक्तियों को वापस लेने विषय में

(छ) किसी अधिकारी या व्यक्ति से अधिकारी विभाग के प्रशासन के सम्बन्ध में किन्हीं या समस्त शक्तियों को वापस ले सकती है ;

शक्तियों को प्रतिनिहित करने की अनुज्ञा दिए जाने के विषय में

(ज) ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन या आबकारी राजस्व से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को [2][* * *] आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा प्रतिनिहित किये जाने की अनुज्ञा दे सकती है ।

[3][अपील ओर पुनरीक्षण]

[3]**[11**–(1) कलेक्टर ओर प्रत्येक अन्य आबकारी अधिकारी जो आबकारी आयुक्त नहीं है, इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहीयों के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त के नियंत्रण में होगा और इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये समस्त आदेशों के विरूद्ध अपील, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित रीति से, आबकारी आयुक्त को की जा सकेगी ;

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई अपील ग्रहण नहीं की जायेगी, जब तक कि उसे व्यथित व्यक्ति द्वारा, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न किया जायें, और जब तक कि अपीलकर्ता ने, यथास्थिति, कर, फीस, शास्ति या अन्य देयों की, यदि कोई हो, विवादग्रस्त राशि की कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि की अदायगी का संतोषजनक सबूत प्रस्तुत न कर दिया हो ;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि अपील प्राधिकारी ऐसे विशेष और पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, कर, फीस, शास्ति या अन्य देयों की ऐसी विवादग्रस्त राशि के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड की अपेक्षाओं को अधित्यक्त या शिथिल कर सकता है।

(2) राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन करने पर इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में दिये गये किसी आदेश से सम्बंधित अभिलेख को किसी ऐसे आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य या ऐसी कार्यवाही की नियमित्ता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिये मांग सकती है और उस की परीक्षा कर सकती है, और यदि किसी मामले में राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे आदेश या कार्यवाही को परिष्कृत, विखंडित, उलटना या पुनर्विचार के लिये पुनः प्रेषित करना चाहिये तो वह तद्नुसार आदेश दे सकती है ;

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन किसी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसे अपना अभ्यावेदन करनें का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि वह आबकारी आयुक्त के आदेश से तीन दिन के भीतर न दिया जाये और जब तक कि कोई अपील जहां वह ग्राहय हो, दायर न कर दी गयी हो और आबकारी आयुक्त द्वारा निपटा न दी गयी हो ;

---

1. सं० प्रा० अधिनियम संख्या 2, 1923 ई० की धारा 4 (3) द्वारा निकाले गये ।
2. सं० प्रा० अधिनियम संख्या 2, 1923 ई० की धारा 4 (4) द्वारा निकाले गये ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 9, 1978 ई0 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

प्रतिबंध यह भी है कि पुनरीक्षण कें लिये कोई आवेदन ग्रहण नही किया जायेगा जब तक कि आवेदक ने, यथास्थिति, कर फीस, शास्ति, या अन्य देयों की, यदि कोई हो, विवादग्रस्त राशि की कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि की अदायगी का सन्तोषजनक सबूत प्रस्तुत न कर दिया हो ;

प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे कर, फीस, शास्ति या अन्य देयों की किसी विवादग्रस्त राशि के संबंध में पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड की अपेक्षाओं को अधित्यक्त या शिथिल कर सकती है।][1]

अध्याय–3

आयात, निर्यात तथा परिवहन

मादक वस्तुओं का आयात

12–(1) कोई [2][मादक वस्तु] तब तक आयात न की जायगी जब तक कि––

(क) [3][राज्य सरकार] ने उसके आयात के लिए या तो सामान्य या विशेष अनुज्ञा न दे दी हो ;

(ख) ऐसी शर्ते (यदि कोई हों) जिन्हें [3][राज्य सरकार] आरोपित करे, पूरी न कर दी गयी हों ; और

(ग) धारा 28 के अधीन आरोपित उत्पाद–शुल्क (यदि कोई हो) का भुगतान न कर दिया गया हो या उसके भुगतान के लिए बंध–पत्र निष्पादित न कर दिया गया हो ।

(2) उपधारा (1) किसी ऐसे पदार्थ पर लागू न होगी जो [4][* * *] भारत में आयात किया गया हो और जो इस प्रकार आयातित होने पर इण्डियन टैरिफ ऐक्ट, [5][1894] अथवा सी कस्टम्स ऐक्ट, 1878 के अधीन उत्पाद–शुल्क का भागी हो ।

(3) [6][* * * *]

मादक वस्तुओं का निर्यात तथा परिवहन

13–किसी भी [2][मादक वस्तु] का तब तक निर्यात या परिवहन न किया जायगा जब तक कि ––

(क) धारा 28 के अधीन आरोपित उत्पाद–शुल्क (यदि कोई हो) ; या

(ख) यदि उस वस्तु का पहले ही आयात किया गया था, तो उसके आयातन पर इण्डियन टैरिफ ऐक्ट, 1894 या सी कस्टम्स ऐक्ट, 1878 के अधीन आरोपित उत्पाद–शुल्क का भुगतान न कर दिया गया हो या उसके भुगतान के लिये बंध–पत्र निष्पादित न कर दिया गया हो ।

14–[7][* * * *]

आयात, निर्यात तथा परिवहन के लिये पास आवश्यक है

15–किसी भी [2][मादक वस्तु] का ऐसे परिमाण, जिसे [3][राज्य सरकार] [अधिसूचना][8] द्वारा या तो सामान्यता सम्पूर्ण [9][उत्तर प्रदेश] के लिये या उसमें समाविष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र के लिये विहित करें, से अधिक परिमाण में अगली अनुवर्ती धारा के उपबन्धों के अधीन जारी किये गये पास के सिवाय आयात, निर्यात या परिवहन नहीं किया जायगा ;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1978 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 ई० द्वारा (एक्साइजेबिल आर्टिकल) के लिये प्रतिस्थापित ।
3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।
4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा धारा (2) तथा (3) से शब्द (बिटिश) निकाला गया ।
5. अब इण्डियन टैरिफ ऐक्ट, 1934 (ऐक्ट 32, 1934) देखिये ।
6. उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 2001 की धारा 2 द्वारा निकाले गये ।
7. उ० प्र० अधिनियम संख्या 6, 1972 ई० की धारा 2 द्वारा निकाला गया ।
8. गजट 1912, भाग एक, पृष्ठ 1203 पर विज्ञप्ति संख्या 681–13–136, दिनांक 22 नवम्बर, 1912 देखिये ।
9. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 ई० द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित ।

प्रतिबन्ध यह है कि विकृत स्प्रिट से भिन्न दत्त–शुल्क विदेशी शराब की दशा में, ऐसे पासों से अभिमुक्ति दे दी जायगी, जब तक कि [1][राज्य सरकार] अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में अन्यथा निर्देश न दे ;

प्रतिबन्ध यह भी है कि जब तक [1][राज्य सरकार] अन्यथा निर्देश न दे, किसी ऐसी [2][मादक वस्तु] के परिवहन के लिये पास अपेक्षित न होगा जो तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये पास के अधीन [3][उत्तर प्रदेश] की परिसीमाओं के बाहर किसी स्थान से उक्त परिसीमाओं के बाहर किसी अन्य स्थान को निर्यात किया गया हो।

आयात, निर्यात तथा परिवहन के लिये पासों का दिया जाना

16–[2][मादक वस्तु] के आयात, निर्यात या परिवहन के लिये पास कलेक्टर द्वारा दिये जा सकते है ।

ऐसे पास निश्चित अवधियों के लिये ओर निश्चित प्रकार की [2][मादक वस्तु] के लिये या तो सामान्य प्रकार के हो सकते है या केवल निर्दिष्ट अवसरों तथा विशिष्ट परेषणों के लिये विशेष प्रकार के हो सकते है ।

अध्याय – 4

निमार्ण, कब्जा तथा विक्रय

इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन निर्माण करने के सिवाय मादक वस्तुओं के निर्माण का निषेध

17–(1) सिवाय कलेक्टर द्वारा तदर्थ दिये गये लाइसेन्स के प्राधिकार और उसके निबन्धनों तथा शर्तो के अधीन रहते हुए ––

(क) कोई भी [2][मादक वस्तु] निर्मित न की जायेगी ;

(ख) भांग के पौधे [कैनेविस सैटाइवा] की खेती न की जायेगी ;

(ग) भांग के पौधे [कैनेविस सैटाइवा] के किसी भी ऐसे भाग का, जिससे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता हो, संग्रह न किया जायेगा ;

(घ) विक्रय के लिये किसी भी शराब को बोतल में बन्द न किया जायेगा ; और

(ङ) कोई भी व्यक्ति ताड़ी से भिन्न किसी [2][मादक वस्तु] के निर्माण के लिये किसी प्रकार के सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरण का न तो प्रयोग करेगा, न अपने पास या न कब्जे में रखेगा ।

(2) सिवाय धारा 18 के अधीन आबकारी आयुक्त द्वारा तदर्थ दिये गये लाइसेंस के प्राधिकार और उसके निबन्धनों तथा शर्तो के अधीन रहते हुये कोई भी आसवनी [4][यवासवनी अथवा विनिर्माणशाला] न तो निर्मित की जायेगी या न चलाई जायेगी ।

आसवनियों तथा भाण्डागारों की स्थापना या उनके लिये लाइसेंन्स दिया जाना

18–आबकारी आयुक्त ––

(क) ऐसी आसवनी स्थापित कर सकता है जिसमें धारा 17 के अन्तर्गत दिये गये लाइसेन्स के अधीन स्प्रिट का निर्माण ऐसी शर्तो पर किया जा सकता है जिन्हें [1][राज्य सरकार] आरोपित करना उचित समझे ;

(ख) इस प्रकार स्थापित किसी आसवनी को बन्द कर सकता है ;

(ग) किसी आसवनी [5][यवासवनी अथवा विनिर्माणशाला] के निमार्ण के लिये तथा उसे चलाने के लिये लाइसेन्स ऐसी शर्तो पर जिन्हें [1][राज्य सरकार] आरोपित करना उचित समझे, दे सकता है ;

(घ) ऐसा भाण्डागार स्थापित कर सकता है या उसके लिये लाइसेन्स दे सकता है जिसमें कोई [2][मादक वस्तु] उत्पाद–शुल्क का भुगतान किये बिना जमा की जा सकती हो और रखी जा सकती हो ; और

(ङ) इस प्रकार स्थापित किसी भाण्डागार को बन्द कर सकता है ।

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।
2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 ई० द्वारा (एक्साइजेबिल आर्टिकल) के लिये प्रतिस्थापित ।
3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 ई० द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित ।
4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1997 ई० की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1997 ई० की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

आसवनी आदि से मादक वस्तुओं का हटाया जाना

19–कोई [1][मादक वस्तु] इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी आसवनी, [2][यवासवनी, विनिर्माणशाला] भाण्डागार या संग्रह करने के किसी अन्य स्थान से तब तक न हटायी जायगी जब तक कि [3][अध्याय 5 के अधीन देय] उत्पाद–शुल्क (यदि कोई हो) का भुगतान न कर दिया गया हो या उसके भुगतान के लिये बन्ध–पत्र निष्पादित न कर दिया गया हों।

राज्य सरकार द्वारा विहित परिणाम से अधिक परिणाम में मादक वस्तुओं को सिवाय परमिट के कब्जे से रखने का निषेध

20–(1) कोई भी व्यक्ति जो किसी [1][मादक वस्तु] का निर्माण, खेती, संग्रह, या विक्रय करने के लिये लाइसेन्स प्राप्त न हो, अपने कब्जे में कोई [1][मादक वस्तु] किसी ऐसे परिमाण से जिसे [4][राज्य सरकार] ने धारा 6 के अधीन फुटकर बिक्री की सीमा घोषित की हो, कलेक्टर द्वारा तदर्थ दिये गये परमिट के सिवाय, अधिक परिमाण में नही रखेगा ।

(2) [5][X X X X]

(3) कोई लाइसेन्स प्राप्त, विक्रेता अपने लाइसेंस द्वारा प्राधिकृत, स्थान से भिन्न स्थान में अपने कब्जे में कोई [1][मादक वस्तु] ऐसे परिमाण से, जिसे [4][राज्य सरकार] ने धारा 6 के अधीन फुटकर बिक्री की सीमा घोषित की हो, कलेक्टर द्वारा तदर्थ दिये गये परमिट के सिवाय, अधिक परिमाण में न रखेगा ।

(4) [6][* * * *]

20–(ए) [7][* * * *]

20–(बी) [7][* * * *]

लाइसेन्स प्राप्त किये बिना मादक वस्तुओं के विक्रय का निषेध

21–कलेक्टर से लाइसेंस प्राप्त किये बिना किसी का विक्रय नहीं किया जायगा ; प्रतिबन्ध यह है कि ––

(1) कोई व्यक्ति जिसे धारा 17 के अधीन भांग के पौधे [कैनेबिस सैटाइवा] की खेती करने या उसका संग्रहण करने का लाइसेंस प्राप्त हो, इस पौधे के उन भागों का जिनसे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता हो, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस अधिनियम के अधीन उसका व्यापार करने का लाइसेंस प्राप्त हो या किसी ऐसे अधिकारी को जिसे आबकारी आयुक्त विहित करें, लाइसेंस के बिना विक्रय कर सकता है ।

(2) [8][उत्तर प्रदेश] के एक से अधिक जिलों में विक्रय करने का लाइसेंस केवल आबकारी आयुक्त द्वारा ही दिया जायगा ;

(3) [9][* * *]

"इक्कीस वर्ष"[11] से कम आयु के व्यक्तियों को विक्रय किये जाने का निषेध

22–कोई लाइसेंस प्राप्त विक्रेता और कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे विक्रेता के सेवायोजन में हो और उसकी ओर से कार्य करता हो किसी [10][शराब] या मादक भेषज को किसी ऐसे व्यक्ति को जो प्रत्यक्षतः [11][इक्कीस वर्ष] से कम आयु का हो, चाहे उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग किये जाने के लिये और चाहे विक्रेता के भू–गृहादि पर या उसके बाहर उपभोग के लिये, न तो बेचेगा या न उसे देगा ।

"इक्कीस वर्ष"[12] से कम आयु के व्यक्तियों को तथा महिलाओं को सेवा योजित करने का निषेध

23–(1) कोई व्यक्ति जो अपने भू–गृहादि पर उपभोग के निमित्त [10][शराब] बेचने के लिये लाइसेंस प्राप्त हो, उन घंटों के दौरान जिनमें ऐसे भू–गृहादि व्यवसाय के लिये खुले रखे जाते हों, ऐसे भू–गृहादि के किसी ऐसे भाग में जिसमें जनसाधारण द्वारा ऐसी शराब या स्प्रिट का उपभोग किया जाता हो, [12][इक्कीस वर्ष] से कम आयु के किसी [13][व्यक्ति] को या तो पारिश्रमिक सहित अथवा पारिश्रमिक के बिना न तो सेवायोजित करेगा या न सेवायोजित करने की अनुज्ञा देगा ।

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 ई० द्वारा (एक्साइजेबिल आर्टिकल) के लिये प्रतिस्थापित ।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1997 ई० की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उपर्युक्त द्वारा (इम्पोज्ड अन्डर सेक्शन 28) के लिये प्रतिस्थापित ।
4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।
5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 1978 ई० की धारा 4 द्वारा निकाला गया ।
6. उ० प्र० अधिनियम संख्या 6, 1972 ई० की धारा 3 द्वारा निकाला गया ।
7. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 06, 1972 की धारा 4 द्वारा निकाला गया।
8. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 ई० द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित ।
9. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1972 की धारा 2 द्वारा निकाली गई ।
10. सं० प्रा० अधिनियम संख्या 2, 1923 की धारा 6 द्वारा (स्प्रिट्स) के लिये प्रतिस्थापित ।
11. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1978 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।
12 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1978 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
13. उपर्युक्त की धारा 7 (1) द्वारा (चाइल्ड) के लिये प्रतिस्थापित ।

(2) कोई व्यक्ति जो अपने भू–गृहादि पर उपभोग के निमित्ति विदेशी शराब बेचने के लिये लाइसेंस प्राप्त हो, उन घंटों के दौरान जिनमें ऐसे भू–गृहादि व्यवसाय के लिये खुले रखे जाते हों [1][आबकारी आयुक्त] की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे भू–गृहादि के किसी ऐसे भाग में जिसमें जनसाधारण द्वारा शराब का उपभोग किया जाता हो किसी महिला को या तो पारिश्रमिक सहित अथवा पारिश्रमिक के बिना न तो सेवायोजित करेगा या न सेवायोजित करने की अनुज्ञा देगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन दी गयी प्रत्येक अनुज्ञा लाइसेंस पर पृष्ठांकित की जायगी और उसे परिष्कृत किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है ।

निर्माण, आदि के एकान्तिक विशेषाधिकार का दिया जाना

24–धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए आबकारी आयुक्त किसी भी व्यक्ति को किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी देशी शराब या मादकभेषज का ––

(1) निर्माण करने या थोक सम्भरण करने या दोनों ही के लिये, या

(2) थोक या फुटकर विक्रय के लिये, या

(3) निर्माण करने या थोक सम्भरण करने या दोनों ही के लियें और फुटकर बिक्री के लिए

एकान्तिक विशेषाधिकार का लाइसेंस दे सकता है ।

विदेशी शराब के सम्बन्ध में बिक्री करने का एकान्तिक विशेषाधिकार का दिया जाना

[2]**[24–क–** (1) धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आबकारी आयुक्त किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में किसी विदेशी शराब का ––

(क) निर्माण करने या थोक सम्भरण करने, या दोनो ही के लिये, या

(ख) निर्माण करने या थोक सम्भरण करने, या दोनों ही के लिये और फुटकर बिक्री के लिये, या

(ग) थोक या फुटकर विक्रेताओं की थोक विक्रेता द्वारा बिक्री के लिये, या

[3][(घ) दुकानों पर फुटकर बिक्री के लिये (भू–गृहादि के "अन्दर" या "बाहर" उपभोग के लिये अथवा भू–गृहादि के "बाहर" उपभोग के लिये) एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस अथवा लाइसेंसों को स्वीकृत कर सकता है ।]

(2) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन कोई लाइसेंस या लाइसेंस के स्वीकृत किये जाने से उसी क्षेत्र में होटलों और रेस्ट्रां में उनके ही भु–गृहादि में उपभोग के निमित्त विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस के स्वीकृत किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(3) जहां उसी अवधि के लिये किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन एक से अधिक लाइसेंस स्वीकृत करने का प्रस्ताव हो वहां प्रत्येक ऐसे लाइसेंस के लिये भावी प्रार्थियो को प्रस्ताव की अग्रिम सूचना दी जायगी।

(4) इस धारा के अधीन एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में धारा 25 और धारा 39 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 24 के अधीन एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये कोई लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में लागू होते है।

[4]**[24–कक–** उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रकाशन के दिनांक के पूर्व किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रतिकूल होते हुये भी इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन की गई या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई बात तथा की गई अथवा किये जाने हेतु तात्पर्यित कोई कार्यवाही विधिमान्य होगी और उसे सदैव विधिमान्य रही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम का उपबन्ध, जैसा कि उक्त अधिनियम द्वारा संशोधित है, सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।]

शंकाओं का निवारण

[2]**[24–ख–** शंकाओं के निवारण के लिये एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि –

(क) राज्य सरकार को देशी शराब और विदेशी शराब के निर्माण और विक्रय का एकान्तिक अधिकार या विशेषाधिकार है ;

(ख) धारा 41 के खण्ड (ग) में लाइसेंस फीस के रूप में वर्णित धनराशि, राज्य सरकार द्वारा ऐसा अधिकार या विशेषाधिकार स्वीकृत किये जाने के लिये वास्तव में किराया या प्रतिफल है ;

---

1. संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2, 1923 की धारा 7 (2) द्वारा (चीफ रेवेन्यू अथारिटी) लिये प्रतिस्थापित ।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1976 ई० की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया । (धारा 3, उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1972 को संशोधित करके)।
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 22, 2018 ई० की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 22, 2018 ई० की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।

(ग) राज्य के आबकारी विभाग के अध्यक्ष के रूप में आबकारी आयुक्त को ऐसी फीस अवधारित या वसूल करते समय, राज्य सरकार की ओर से और के लिये कार्य करने वाला समझा जायगा ;][1]

सैनिक केन्टोनमैंट्स में शराब निर्माण तथा विक्रय

25–किसी सैनिक कैन्टोन्मेन्ट की परिसीमाओं के भीतर और उन परिसीमाओं से ऐसी दूरी के भीतर जिसे [2][केंन्द्रीय सरकार] किसी मामले में विहित करें, शराब के निमार्ण या विक्रय के लिये या धारा 24 के अधीन शराब के संबंध में एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये कोई लाइसेंस तब तक न दिये जायेंगे जब तक कि समादेशाधिकारी, सहमति न दे दे।

एकान्तिक विशेषाधिकार का गृहिता पट्टे पर उठा सकता है या अभ्यर्पित कर सकता है

26–अपनी लाइसेंस की शर्तो के अधीन रहते हुए किसी एकान्तिक विशेषाधिकार का गृहीता अपना सम्पूर्ण विशेषाधिकार या उसका कोई भाग पट्टे पर दे सकता है या अभ्यर्पित कर सकता है ; किन्तु ऐसे विशेषाधिकार या उसके किसी भाग का कोई पट्टेदार या अभ्यर्पित किन्हीं अधिकारों का इस प्रकार प्रयोग न करेगा जब तक कि गृहीता द्वारा आवेदन–पत्र दिये जाने पर आबकारी आयुक्त ने उसे कोई ऐसा लाइसेंस न दे दिया हो ।

एकान्तिक विशेषाधिकार के गृहिता द्वारा उसको देय धनराशियों की वसूली

27–यथापूर्वाक्त कोई गृहिता पट्टेदार या अभ्यार्पिती अपने अधीन किसी व्यक्ति से गृहिता, पट्टेदार या अभ्यार्पित के रूप में उसको देय कोई धनराशि इस प्रकार वसूल कर सकता है मानो वह क्षेत्रपति और काश्तकार के संबंध में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन वसूल होने योग्य बकाया लगान हो ;

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा में दी गई किसी बात से किसी ऐसी गृहीता, पट्टेदार या अभ्यर्पिती के, यथापूर्वोक्त किसी ऐसे व्यक्ति से उसे देय कोई ऐसी धनराशि सिविल वाद के जरिये वसूल करने के अधिकार पर प्रभाव न पड़ेगा ।

अध्याय–5

उत्पाद–शुल्क और फीस

उत्पाद– शुल्कारोप्य पदार्थो पर उत्पाद–शुल्क

28–[3](1) [4][किसी ऐसे उत्पाद– शुल्कारोप्य पदार्थ पर, यथास्थिति उत्पाद–शुल्क या प्रति–शुल्क] ऐसी दर या दरों पर जैसा कि [5][राज्य सरकार] निर्देश[6] दे, या तो सामान्यतया या किसी निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के लिये आरोपित किया जा सकता है ––

(क) जो धारा 12 (1) के उपबन्धों के अनुसार आयात किया गया हो ; या

(ख) जो धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार निर्यात किया गया हो ; या

(ग) जिसका परिवहन किया गया हो ; या

(घ) जो धारा 17 के अधीन दियें गयें किसी लाइसेंस के अर्न्तगत निमित्त किया गया हो, जिसकी खेती की गयी हो या जिसे संगृहीत किया गया हो ; या

(ङ) जो धारा 18 के अधीन स्थापित किसी आसवनी या लाइसेंस प्राप्त किसी आसवनी या यवासवनी में निमित्त हो ;

निम्नलिखित प्रतिबन्ध यह है कि ––

(i) duty shall not be so imposed on any article which has been

---

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1976 ई० की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया । (धारा 3, उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1972 को संशोधित करके)।
2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 7, 1970 की धारा 2 द्वारा उपधारा (1) पुर्नसंख्याकित।
4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (ए ड्यूटी) के लिये प्रतिस्थापित ।
5. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविशियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित।
6. निर्देशों के लिए उद्देश्य और कारणों का विवरण देखें।

(1) उत्पाद–शुल्क किसी ऐसे पदार्थ पर इस प्रकार आरोपित नहीं किया जायगा जो [1][* * *] भारत में आयात किया गया हो और इस प्रकार आयातित होने पर इंडियन टैरिफ ऐक्ट, [2]1894 अथवा सी कस्टम्स ऐक्ट, 1878 के अधीन उत्पाद–शुल्क का भागी हो।

(2) [3][* * * *]

स्पष्टीकरण –– इस धारा के अधीन उत्पाद–शुल्क विभिन्न दरों से उन स्थानों के अनुसार जहां उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थ उपभोग के लिये ले जाया जाने वाला हो, या ऐसे पदार्थ की परिवर्ती सान्द्रता और गुण के अनुसार आरोपित किया जा सकता है ।

[4] [(2) राज्य सरकार, उपयुर्क्त उत्पाद–शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) या प्रतिशुल्क (काउन्टर–वेलिंग ड्यूटी) आरोपित करने में और उसकी दर निश्चित करनें में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में निर्दिष्ट निदेशक तत्वों का अनुसरण करेगी ।]

(3) [5][X X X X]

(4) [5][X X X X]

[6]**[28–क––** (1) जहां किसी यवासनी में, आबकारी विभाग के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे आबकारी आयुक्त इस निमित्त प्राधिकृत करे परीक्षण करने पर स्टाक में स्प्रिट या बियर का परिणाम स्टाक लेखे में प्रदर्शित परिणाम से अधिक पाया जायें, वहां यवासव ऐसे अधिक परिणाम पर धारा 28 के अधीन निर्धारित सामान्य दर पर उत्पाद शुल्क का देनदार होगा ।

(2) जहां ऐसे परीक्षण पर स्प्रिट या बियर का परिणाम स्टाक लेखे में प्रदर्शित परिणाम से कम पाया जाये और वह कमी, यवासवनी में वाष्पन संलेज और अन्य प्रासंगिकता के कारण हुई हानि को पूरा करने के लिये और बोतल में भरने और भंडार में रखने से हुई हानि को पूरा करने के लिये भी दी गयी दस प्रतिशत की छूट सीमा से अधिक हो जाये, वहां आबकारी आयुक्त दस प्रतिशत से अधिक की ऐसी कमी के संबंध में उत्पाद शुल्क की साधारण दर के एक सौ प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण उत्पाद शुल्क की साधारण दर के अतिरिक्त करेगा ।]

वह रीति जिसके अनुसार उत्पाद–शुल्क लगाया जायेगा

29–ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जिन्हें [7][आबकारी आयुक्त] भुगतान का समय, स्थान और रीति विनियमित करने के लिये विहित करे, ऐसा उत्पाद–शुल्क निम्नलिखित एक या एकाधिक प्रकार से लगाया जा सकता है जैसा कि [8][राज्य सरकार] [9]अधिसूचना द्वारा निर्देश दे––

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा शब्द (ब्रिटिश) निकाला गया ।
2. अब इंडियन टैरिफ ऐक्ट, 1934 (ऐक्ट संख्या 32, 1934) देखिये ।
3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड निकाला गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1970 की धारा 2 द्वारा धारा 28 कों उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्याकित किया गया तथा इस प्रकार पुर्नसंख्यांकित उप–धारा (1) के पश्चात् उपधारायें (2) तथा (8) अन्तर्विष्ट की गई ।
5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, 2018 ई० की धारा 3 द्वारा निकाला गया । (1 अप्रैल, 2016 से निकाली समझी जायेगी)
6. उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 1978 ई० की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया ।
7. सं० प्रा० अधिनियम संख्या 2, 1923 की धारा 8 द्वारा (चीफ रेवेन्यू अथारिटी) के लिये प्रतिस्थापित ।
8. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नगमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित जो एडेंप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था ।
9. इस धारा के अर्न्तगत अधिसूचना के लिए उद्देश्य व कारण देखिए ।

(क) धारा 12 (1) के अधीन आयात किये गये उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थो की दशा में :

(1) या तो आयात के प्रान्त में या निर्यात के प्रान्त या राज्य–क्षेत्र में भुगतान करके; या

(2) धारा 18 (घ) के अधीन स्थापित या लाइसेंस प्राप्त भांडागार से विक्रय के लिये जारी किये जाने पर भुगतान करके ;

(ख) धारा 13 के अधीन निर्यात किये गये उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थो की दशा में–– या तो निर्यात के प्रान्त में या आयात के प्रान्त या राज्य–क्षेत्र में भुगतान करके ;

(ग) परिवहन किये गये उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थो की दशा में ––

(1) उस जिले में भुगतान करके जहां से उत्पाद शुल्कारोप्य पदार्थ का परिवहन किया जाने वाला हो ; या

(2) धारा 18 (घ) के अधीन स्थापित या लाइसेंस प्राप्त भाण्डागार से विक्रय के लिये जारी किये जाने पर भुगतान कर के ;

(घ) धारा 17 (1) के अधीन दिये गये किसी लाइसेंन्स के अन्तर्गत निर्मित मादक भेषजों की दशा में ––

(1) धारा 17 (1) (क) के उपबन्धों के अधीन दियें गये लाइसेंन्स के अन्तर्गत निमित या धारा 18 (घ) के अधीन स्थापित या लाइसेन्स प्राप्त भाण्डागार से जारी किये गये परिणाम पर उप–शुल्क भारित करके ;

(2) जहां कोई मादक भेषज धारा 17 (1) (ख) और (ग) के उपबन्धों के अधीन दिये गये लाइसेन्स के अन्तर्गत खेती किये गये या संगृहीत भांग (कैनेबिस सैटाइवा) से निर्मित हो तो खेती के प्रति एकड़ पर उप–शुल्क लगा कर या संगृहीत मात्रा पर उप–शुल्क भारित करके ;

(ङ) धारा 18 के अधीन स्थापित किसी आसवनी में या लाइसेन्स प्राप्त किसी आसवनी [1][यवासवनी या विनिमार्णशाला] में निर्मित स्प्रिट या बियर की दशा में ––

(1) यथास्थिति, आसवनी, [2][यवासवनी या विनिर्माणशाला] में उत्पादित या उससे जारी किये गये परिमाण पर या धारा 18 (घ) के अधीन स्थापित या लाइसेन्स प्राप्त भाण्डागार से जारी किये गये परिमाण पर उप–शुल्क भारित करके ;

(2) यथास्थिति, प्रयुक्त समानों के परिमाण अथवा धोवन या वर्ट के क्षीणन की मात्रा पर आकलित तुल्यांक के ऐसे मापक्रम के अनुसार जिसे [3][राज्य सरकार] विहित करे, उपशुल्क भारित करके ;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भुगतान धारा 18 (घ) के अधीन स्थापित या लाइसेन्स प्राप्त भाण्डागार से विक्रय के लिये किसी उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थ के जारी होने पर किया जाय, तो वह उत्पादशुल्क की उस दर से होगा जो उस पदार्थ पर उस दिनांक को प्रवृत्त हो जब कि वह भाण्डागार से जारी किया जाय ।

---

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1997 ई० की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उपरोक्त की धारा द्वारा प्रतिस्थापित।
3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नगमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित जो एडेंप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था ।

एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए भुगतान

[1][**30**–(1) इस अध्याय के अधीन लगाये जाने वाले किसी उत्पाद शुल्क के बजाय या उसके अतिरिक्त, राज्य सरकार या उसकी ओर से आबकारी आयुक्त धारा 24–क के अधीन किसी एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस दिये जाने के प्रतिफलस्वरूप किसी राशि का भुगतान स्वीकार कर सकता है ।

[2][(2) उपधारा (1) के अधीन देय धनराशि या तो नीलाम द्वारा या टेन्डर आमंत्रित करके या अन्य प्रकार से निश्चित की जा सकती है या लाइसेंन्स के अधीन किये गये विक्रय या उठाये गये कोटा के आधार पर निर्धारित की जा सकती है या उपर्युक्त रीतियों से अंशतः निश्चित और अंशतः निर्धारित की जा सकती है।]

[3][(3) विदेशी शराब के थोक विक्रेताओं द्वारा 1 अप्रैल, 1983 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये धारा 24–क के अधीन दिये गए लाइसेंस के लिए नियत धनराशि के अलावा लाइसेंस के अधीन विक्रय के आधार पर निर्धारित धनराशि जिसे निर्धारित फीस कहा गया है, सभी प्रकार की स्प्रिट, वाइन, शराब और कार्डियल की प्रति मान्य क्वार्ट बोतल पर पांच रूपयें की दर पर और बियर, स्टाउट और अन्य किण्वित शराब की प्रति मान्य क्वार्ट बोतल पर साठ पैसे की दर पर देय होगी:]

[4][प्रतिबन्ध यह है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से, उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 के प्रारम्भ होने के दिनांक तक उदग्रहीत प्रतिफल शुल्क, धारा 28 के अधीन उत्पाद शुल्क समझा जायेगा।]

संविधान के आरम्भ होने के समय लगाये जाने वाले उत्पाद शुल्कों के सम्बन्ध में अपवाद

[5] [**30–क**–(1) जब तक [6] [संसद] द्वारा कोई प्रतिकूल व्यवस्था न की जाय, [7][राज्य सरकार] कोई ऐसा उत्पाद–शुल्क लगाना जारी रख सकती है जिस पर यह धारा लागू होती हो और जिसे वह [6][संविधान] के आरम्भ होने के ठीक पूर्व तत्समय प्रवृत्त इस अध्याय के अधीन विधिपूर्वक लगा रही थी ।

(2) उत्पाद–शुल्क, जिस पर यह धारा लागू होती है, निम्नलिखित हैं ––

(क) कोई उत्पाद–शुल्क जो ऐसी मादक वस्तुओं [8][या औषधीय या प्रसाधनिक विनिमितियों के विषय में हो जिनमें अल्कोहल हों] और जो इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत उत्पाद–शुल्कारोप्य न हों ; और

(ख) कोई उत्पाद–शुल्क जो भारत के बाहर उत्पादित तथा [9][उत्तर प्रदेश] में आयातित किसी उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थ के विषय में हो, चाहे वह पदार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा यथापरिभाषित सीमा शुल्क सरहद के पार से आयातित हो अथवा नहीं ।

(3) इस धारा की कोई बात [7][राज्य सरकार] की कोई ऐसी उत्पाद–शुल्क लगाने के

---

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1976 ई० की धारा 2 (iii) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 13, 1979 ई० की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 7, 1998 ई० की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, 2018 ई० की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।
5. एडप्टेशन आफ आर्डर, 1937 द्वारा बढ़ायी गयी ।
6. एडप्टेशन आफ आर्डर, 1950 द्वारा (सेन्ट्रल लेजिसलेचर) और (गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 के खन्ड 3) के लिए प्रतिस्थापित ।
7. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नगमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित जो एडेंप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था ।
8. एडप्टेशन आफ आर्डर, 1950 द्वारा अन्तर्विष्ट ।
9. एडप्टेशन आफ आर्डर, 1950 द्वारा (दि यूनाइटेड प्राविंसेज) के लिए प्रतिस्थापित ।

लिये प्राधिकृत नहीं करेगी, जो इस [1][राज्य] में उत्पादित या निर्मित सामानों तथा इसी प्रकार के ऐसे सामानों के बीच जो इस प्रकार उत्पादित या निर्मित न किये गये हों, पूर्वोक्त के पक्ष विभेंद करे अथवा जो [1][राज्य] के बाहर उत्पादित या निर्मित सामानों की दशा में, किसी एक क्षेत्र में निर्मित या उत्पादित सामानों तथा किसी दूसरे क्षेत्र में निर्मित या उत्पादित उसी प्रकार के सामान के बीच विभेद करे।]

अध्याय–6

लाइसेन्स, परमिट तथा पास

लाइसेंस, आदि के प्रपत्र तथा उनकी शर्तें

31–इस अधिनियम के अधीन दिया गया प्रत्येक लाइसेन्स, परमिट या पास ––

(क) ऐसी फीसों (यदि कोई हों) का भुगतान करने पर ;

(ख) ऐसे निर्बन्धनों और ऐसी शर्तो के अधीन, दिया जायेगा ;

(ग) ऐसे प्रपत्र में होगा और उसमें ऐसे ब्योरे दिये जायेंगे, जैसा कि [2][आबकारी आयुक्त] तदर्थ या तो सामान्यतया या किसी विशेष दशा में निर्देश दे ; और

(घ) ऐसी अवधि के लिये और उसी रीति से जैसा कि [3][राज्य सरकार] निर्देश दे, दिया जायगा ।

इस अधिनियम के आरम्भ होने के समय प्रवृत्त लाइसेन्स के सम्बन्ध में अपवाद

32–ऐसा प्रत्येक लाइसेन्स जो एक्साइज ऐक्ट, 1896 की किसी धारा के अधीन दिया गया हो और जो इस अधिनियम के आरम्भ होने के समय प्रवृत्त हो, इस अधिनियम की तद्नुरूप धारा के अधीन दिया गया समझा जायगा और (जब तक वह इस अध्याय के अधीन पहले ही रद्द, निलंबित, वापस या समर्पित न कर दिया गया हो) उस अवधि तक प्रवृत्त रहेगा जिसके लिये वह दिया गया था ।

लाइसेन्स देने वाले प्राधिकारी की प्रतिरूप अनुबंध आदि के निष्पादन की अपेक्षा करने की शक्ति

33–इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स देने वाला कोई प्राधिकारी लाइसेन्सगृहीता से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने लाइसेन्स की अनुकृति के अनुरुप प्रतिरूप अनुबन्ध निष्पादित करे तथा ऐसे अनुबन्ध के पालनार्थ ऐसी प्रतिभूति दे या प्रतिभूति के बदले में ऐसी धनराशि जमा करे, जैसी कि ऐसा प्राधिकारी उचित समझे ।

लाइसेन्सों, आदि को रद्द या निलंबित करने की शक्ति

34–(1) ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें विहित करे, इस अधिनियम के अधीन कोई लाइसेन्स, परमिट या पास देने वाला प्राधिकारी उसे रद्द या निलम्बित कर सकता है ––

(क) यदि उसके धारक द्वारा देय किसी उत्पाद–शुल्क या फीस का यथाविधि भुगतान न किया गया हो ; या

(ख) उस दशा में जब ऐसे लाइसेन्स, परमिट या पास के धारक द्वारा या उसके सेवकों द्वारा या उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे लाइसेन्स, परमिट या पास के निबन्धकों या शर्तों में से किसी निबन्धन या शर्त का उल्लंघन किया गया हो ; या

(ग) यदि उसका धारक इस अधिनियम के अधीन या राजस्व से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का या किसी संज्ञेय तथा

---

1. एडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंस) के लिए प्रतिस्थापित ।
2. सं० प्रा० अधिनियम संख्या 2, 1923 की धारा 9 द्वारा (चीफ रेवेन्यू अथारिटी) के लिये प्रतिस्थापित ।
3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नगमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित जो एडेंप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था ।

अजमानतीय अपराध का [1][या अनिष्टकर औषधि–द्रव्य अधिनियम, 1930 के अधीन] या मर्चेन्डाइज मार्क्स ऐक्ट, 1889 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 तक (दोनों धारायें सम्मिलित करके) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो ; या

(घ) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी एकान्तिक विशेषाधिकार के गृहीता के आवेदन–पत्र पर लाइसेन्स, परमिट या पास दिया गया हो, तो ऐसे गृहीता द्वारा लिखित रूप से अधियाचन करने पर ; या

(ङ) यदि लाइसेन्स या परमिट की शर्तों में इच्छानुसार इस प्रकार रद्द या निलंबित किये जाने की व्यवस्था की गयी हो ।

(2) जब किसी व्यक्ति द्वारा घृत कोई लाइसेन्स, परमिट या पास उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन रद्द किया जाय, तो पूर्वोक्त प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन या आबकारी राजस्व से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या ओपियम ऐक्ट, 1878 के अधीन [2][राज्य सरकार] द्वारा या उसके प्राधिकार से ऐसे व्यक्ति को दिये गये किसी अन्य लाइसेन्स, परमिट या पास को रद्द कर सकता है ।

इस धारा के अधीन लाइसेन्स, आदि के रद्द या निलंबित किये जाने के लिए कोई प्रतिकर या धनराशि के प्रतिदान का दावा न किया जा सकेगा

(3) धारक इस धारा के अधीन अपने लाइसेन्स, परमिट या पास के रद्द या निलंबित किये जाने के लिये न तो किसी प्रतिकर के और न हो उसके संबंध में भुगतान की गई किसी फीस या जमा की गई किसी धनराशि के प्रतिदान का हकदार होगा ।

लाइसेन्सों को रद्द करने की अग्रेतर शक्ति

35–(1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स देने वाला प्राधिकारी यह समझे कि ऐसा लाइसेन्स धारा 34 में निर्दिष्ट कारणों से भिन्न किसी कारण से रद्द किया जाना चाहियें, तो वह उसके संबंध में पन्द्रह दिनों के लिये देय फीस के बराबर राशि प्रेषित करेगा और लाइसेन्स को या तो ––

(क) ऐसा करने के अपने अभिप्राय की पन्द्रह दिन की लिखित नोटिस की अवधि समाप्त हो जाने पर ; या

(ख) बिना नोटिस दिये, तुरन्त ही रद्द कर सकता है ।

रद्द किये जाने की दशा में प्रतिकर

(2) यदि कोई लाइसेन्स उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन रद्द कर दिया जाय तो यथापूर्वोक्त प्रेषित राशि के अतिरिक्त लाइसेन्सधारी को प्रतिकर के रूप में ऐसी और राशि का भुगतान किया जायगा जैसा कि आबकारी आयुक्त निर्देश दे ।

फीस या जमा की गयी धनराशि का प्रतिदान

(3) जब इस धारा के अधीन कोई फीस लाइसेन्स रद्द किया जाय तो उसके संबंध में लाइसेन्सधारी द्वारा अग्रिम भुगतान की गई कोई फीस या जमा की गई कोई धनराशि [राज्य सरकार][2] को देय धनराशि (यदि कोई हो) काट कर उसे प्रतिदान को जायगी ।

फुटकर बिक्री के लाइसेन्स का समर्पण

36–इस अधिनियम के अधीन फुटकर बिक्री के किसी लाइसेन्स का धारक लाइसेन्स समर्पित करने के अपने अभिप्राय की अपने द्वारा कलेक्टर को दिये गये एक माह की लिखित नोटिस की अवधि व्यतीत हो जाने पर और उस संपूर्ण अवधि के लिये जिसमें लाइसेन्स जारी रहता, यदि ऐसा समर्पण न कर दिया गया होता, लाइसेन्स के निमित्त देय फीस भुगतान करने पर अपना लाइसेन्स समर्पित कर सकता है :

---

1. अधिनियम सं० 2, 1930 की द्वितीय सूची तथा धारा 40 के द्वारा अन्तर्विष्ट। (अनिष्टकर औषधि द्रव्य अधिनियम एन0डी0पी0एस0 अधिनियम 1985 द्वारा निरसित)
2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नगमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था ।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि आबकारी आयुक्त का यह समाधान हो जाय कि ऐसा लाइसेन्स समर्पित करने के लिये पर्याप्त कारण है, तो वह समर्पण कर दिये जाने पर इस प्रकार देय धनराशि या उसका कोई अंश उसके धारक को प्रेषित कर सकता है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में यथाप्रयुक्त शब्द "लाइसेन्स का धारक" में वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसका लाइसेन्स के निमित्त टेन्डर या बोली स्वीकार हो चुकी हो, यद्यपि उसे वास्तव में लाइसेन्स प्राप्त न हुआ हो ।

नवीकरण और प्रतिकर अधिकार पर रोक

[1][**36—क**—कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स दिया गया हो, ऐसे लाइसेंस के नवीकरण के लिये कोई दावा न कर सकेगा या न उसे समाप्त किये जाने पर या उसके नवीकृत न किये जाने पर प्रतिकर के लिये दावा कर सकेगा ।]

लाइसेन्स आदि में प्राविधिक अनियमिततायें

37—(1) इस अधिनियम के अधीन दिया गया कोई लाइसेन्स केवल इस कारण अविधिमान्य न समझा जायगा कि उसमें या उसके दिये जाने से पूर्व की गई किसी कार्यवाही में, कोई प्राविधिक दोष, अनियमितता या लोप है ।

(2) प्राविधिक दोष, अनियमितता या लोप क्या है, इस संबंध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

अध्याय—6क

मद्य निषेध के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

मादक वस्तुओं का आयात, निर्यात, परिवहन करने, कब्जे में रखने या उसका उपभोग करने का निषेध

[2][**37—क**—(1) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश या उसके किसी भाग में या वहां से किसी मादक वस्तु का आयात या निर्यात या उसका परिवहन निषिद्ध होगा ।

(2) धारा 20 में दी गयी किसी बात के होते हुये भी किन्तु उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उत्तर प्रदेश या उसके किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के व्यक्तियों द्वारा या ऐसे अपवादों के, यदि कोई विनिर्दिष्ट किये जायें, अधीन रहते हुये सभी व्यक्तियों द्वारा, किसी मादक वस्तु को कब्जे में रखना या उसका उपभोग करना अप्रतिबद्ध रूप में या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो विनिर्दिष्ट की जाये, निषिद्ध होगा ।

(3) राज्य में मद्य निषेध का क्रमिक प्रसार करने की नीति के अनुसरण में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखतें हुये, राज्य सरकार निम्नलिखित किसी एक या अधिक कारणों को ध्यान में रखते हुयें, समय—समय पर इस निम्नलिखित भिन्न—भिन्न क्षेत्रों का चयन कर सकती है , अर्थात् :——

(क) किसी क्षेत्र का स्वरूप, यथा ——

(एक) सरकार का मुख्यालय, या

(दो) विद्या केन्द्र, या

(तीन) तीर्थ या धार्मिक महत्व का स्थान, या

(चार) पर्वतीय क्षेत्र, या

(पांच) औद्योगिक क्षेत्र, या

(छः) मद्यनिषेध वाले क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र, या

---

1. सं० प्रा० अधिनियम संख्या 2, 1923 की धारा 10 द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 30, 1978 की धारा 4 द्वारा अन्तर्विष्ट।

[1][(सात) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन–जातियों की बस्ती, या

(ख) स्थानीय निवासियों की सामान्य आर्थिक स्थिति जिसके अन्तर्गत उनके आहार पुष्टितल और जीवन–स्तर भी है, या

(ग) स्थानीय जनमत, या

(घ) कोई अन्य संगत तथ्य जो राज्य सरकार की राय में लोकहित में सारवान हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि राज्य सरकार से अपने आदेश में उन तथ्यों को, जिनके आधार पर, कोई विशिष्ट क्षेत्र मद्य–निषेध लागू करने के लिये किसी समय चुना जाय, उल्लिखित करना अपेक्षित है ।

(4) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुये, वह क्षेत्र जिसमें उपधारा (1) के अधीन किसी मादक वस्तु के आयात, निर्यात या परिवहन पर, और जिसमें उपधारा (2) के अधीन किसी मादक पदार्थ को कब्जे में रखने या उसका उपभोग करने पर, निषेध का प्रसार किया जाय और वह दिनांक जिससे किसी क्षेत्र मे मद्य निषेध प्रवृत्त हो, ऐसा होगा जिसे राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(5) किसी मद्य निषेध क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (4) में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार या तो नियमों द्वारा या सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उपधारा (4) के अधीन अधिसूचना में उल्लिखित मादक वस्तुओं को या ऐसी मादक वस्तुओं में से किसी को निम्नलिखित द्वारा या उनके प्रयोजनों के लिये, कब्जे में रखने, या उनका उपभोग, आयात, निर्यात या परिवहन करने के सम्बन्ध में कोई छूट दे सकती है या शिथिलीकरण कर सकती है:–

(क) प्रतिरक्षा सेवाओं के सदस्य ;

(ख) मद्य निषेध क्षेत्र में आने वाले या निवास करने वाले विदेशी ;

(ग) मद्य निषेध क्षेत्र से गुजरने वाले यात्री ;

(घ) जिला चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय, जिसमें औषधीय प्रयोजनों के लिये कोई मादक वस्तु अपेक्षित हो ;

(ङ) धारा 17, 18, 21 और 24 के अधीन लाइसेंस धारण करने वाले व्यक्ति ;

(च) रेल, सड़क या वायुयान द्वारा मद्य निषेध क्षेत्र से, को या होकर गुजरने वाले पारेषण ;

(छ) औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, औषधीय या धार्मिक प्रयोजन ।

(6) किसी ऐसी छूट या शिथिलीकरण के सम्बन्ध में जो उपधारा (5) के अधीन दी जाय, राज्य सरकार या तो नियमों द्वारा या सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो विनिर्दिष्ट किया जाय, पास या परमिट दिये जाने की व्यवस्था कर सकती है ।

(7) उपधारा (4) में अभिदिष्ट अधिसूचना जारी कर दिये जाने पर इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी, लाइसेंस को, जहां तक उसका सम्बन्ध मद्य निषेध क्षेत्र से है, बिना नोटिस तुरन्त निरस्त कर सकता है और वह तदुपरान्त लाइसेंन्स की असमाप्त अवधि के सम्बन्ध में देय शुल्क की धनराशि के बराबर धनराशि की छूट देगा और उसके सम्बन्ध में लाइसेंन्सधारी द्वारा अग्रिम रूप से दिये गये किसी शुल्क या जमा कि गई धनराशि को, उसमें

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1978 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

से राज्य सरकार को देय धनराशि, यदि कोई हो, घटाकर लौटा, देगा, किन्तु लाइसेंसधारी को ऐसे निरसन के सम्बन्ध में धारा 35 में दी गयी किसी बात के होते हुये भी कोई प्रतिकर देय न होगा।

(8) जहां उपधारा (7) के अधीन कोई लाइसेंस निरस्त किया जाय वह लाइसेंसधारी अपने कब्जे की मादक वस्तुओं का निस्तारण उस प्रकार करेगा जैसा राज्य सरकारी या आबकारी आयुक्त, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश।

प्रतिबन्ध यह है कि 1 मई, 1972 को प्रारम्भ होने वाली और 25 जून, 1978 के साथ समाप्त होने वाली अवधि में किया गया ऐसा कोई कार्य या हुई ऐसी कोई चूक मूल अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध नहीं होगी जो यदि ऐसा प्रतिस्थापन न किया जाता तो कोई अपराध न होती।][1]

अध्याय–7

सामान्य उपबन्ध

माप, बाट तथा परीक्षण यंत्र

38–प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन दिए गए लाइसेन्स के अधीन कोई [2][मादक वस्तु] निर्मित करता है या उसका विक्रय करता है ––

(क) ऐसे माप, बांट तथा यन्त्र जिन्हें आबकारी आयुक्त विहित करे, की स्वयं व्यवस्था करने और उन्हें अच्छी दशा में रखने ; और

(ख) यदि ऐसे माप, बॉट तथा यन्त्र विहित किए गए हों, तो तदर्थ यथाविधि अधिकृत किसी आबकारी अधिकारी द्वारा अधियाचत किए जाने पर किसी भी समय किसी ऐसी [मादक वस्तु][1] का, जो उसके कब्जे में हो, ऐसी रीति से माप लेने, तौल लेने या उसे पराक्षित करने, जैसा कि उक्त आबकारी अधिकारी अपेक्षा करे ;

के लिए बाध्य होगा ।

[2][**आबकारी राजस्व के बकाया पर ब्याज**]

[3] **[38–क** (1) जहाँ किसी आबकारी राजस्व का भुगतान उसके देय होने के दिनाँक से तीन मास के भीतर न किया गया हो, वहाँ चौबीस प्रतिशत प्रति वर्ष से अनधिक दर पर, जैसी विहित की जाय, ब्याज ऐसे आबकारी राजस्व के देय होने के दिनांक से वास्तविक भुगतान के दिनाँक तक देय होगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कोई उच्च दर विहित न की जाय, तब तक ब्याज की दर अट्ठारह प्रतिशत प्रति वर्ष होगी ;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आबकारी राजस्व के सम्बन्ध में, जो उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोंधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ होने के पूर्व देय हो गया हो, उक्त दर पर ब्याज ऐसे प्रारम्भ के दिनांक के तीन मास के भीतर न किया जाय ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नही लगाया जायगा कि उससे किसी करार, नीलामी के निबन्धनों या उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व दायर किये गये वादों या कार्यवाहियों में न्यायालय कि किसी डिक्री जो उक्त दिनांक के पूर्व पारित की गयी हो या उक्त दिनांक के पश्चात् पारित की जाय, के अधीन ब्याज के भुगतान पर पड़ता है ।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1978 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।
2. एडेप्टेशन आफ आर्डर, 1973 द्वारा (एक्साइजएबूल आर्टिकल) के लिए प्रतिस्थापित ।
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 7, 1985 ई० की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

(2) ऐसे ब्याज की वसूली पर धारा 39 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे आबकारी राजस्व की वसूली पर लागू होते है।]

आबकारी राजस्व की वसूली

39–सम्पूर्ण आबकारी राजस्व जिसमें वे धनराशियां भी सम्मिलित है, जो आबकारी राजस्व से सम्बन्धित किसी संविदा के कारण किसी व्यक्ति द्वारा [1][सरकार] को देय हों, उस व्यक्ति से जो प्रथमतः उसे भुगतान करने का जिम्मेदार हो या उसके प्रतिभू से (यदि कोई हो) भू–राजस्व के बकाया के रूप में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा लोक मांगो की वसूली के लिए व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकता है । लाइसेन्स धारक द्वारा भुगतान करने में चूक किए जाने की दशा में कलेक्टर, उस प्रदान को जिसके लिए लाइसेन्स दिया गया है, भुगतान में चूक करने वाले के जोखिम पर प्रबन्ध में ले सकता है या उसको जब्त घोषित कर सकता है और भुगतान में चूक करने वाले व्यक्ति के जोखिम तथा हानि पर उसको पुनः विक्रय कर सकता है। जब कोई प्रदान इस धारा के अधीन प्रबन्धाधीन हो, तो कलेक्टर भुगतान करने में चूक करने वाले व्यक्ति को किसी पट्टेदार या अभ्यर्पिती द्वारा देय कोई भी धनराशियों आबकारी राजस्व के रूप में वसूल कर सकता है ;

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 24 के अधीन दिए गए किसी एकान्तिक विशेषाधिकार का लाइसेन्स, लाइसेन्स देने वाले प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना न तो जब्त किया जायगा या न उसका पुनः विक्रय किया जाएगा ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

40–(1) [2][राज्य सरकार] इस अधिनियम के या आबकारी राजस्व से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

[3][प्रतिबन्ध यह है कि यह समझा जायगा कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, द्वारा बनायी गई उत्तर प्रदेश सरचार्ज शुल्क प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञापन नियमावली, 1968, जैसा कि वह समय–समय पर आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा संशोधित की गयी है, जब तक कि राज्य सरकार इस धारा के अधीन उसका परिवर्तन, निरसन या संशोधन न करे, उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी है और सर्वदा रही है, मानों उक्त नियमावली राज्य सरकार के द्वारा इस धारा के अधीन विधिवत् बनायी गयी हो ;]

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, [2][राज्य सरकार] निम्नलिखित के लिए नियम बना सकती है ––

(क) धारा 10 (2) (ज) के अधीन [4][* * *] आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा किन्ही शक्तियों के प्रतिनिहित किए जाने की विनियमित करने के लिए ;

(ख) आबकारी विभाग के अधिकारियों की शक्तियों तथा कर्तव्यों को विहित करने के लिए ;

[5][(ग) अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत करने के लिए रीति और ऐसे अपील और पुनरीक्षण के निस्तारण की प्रक्रिया विहित करना ;]

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (दि क्राउन) के लिए प्रतिस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था ।
2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था ।
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1976 ई० की धारा 3(क) द्वारा बढ़ाया गया ।
4. सं० प्रा० अधिनियम संख्या 2, 1923 की धारा 11 द्वारा शब्द (दि चीफ रेवेन्यू अथारिटी) निकाले गये ।
5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1976 ई० की धारा 3(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।

(घ) किसी [1][मादक वस्तु] के आयात, निर्यात, परिवहन या उसे कब्जे में रखने को विनियमित करने के लिए ;

(ङ) उन अवधियों तथा क्षेत्रों को, जिनके लिए तथा उन व्यक्तियों को, जिन्हें किसी [1][मादक वस्तु] के थोक या फुटकर विक्रय के लिए लाइसेन्स दिया जाय, विनियमित करने के लिए ;

(च) किसी क्षेत्र के निमित्त ऐसे विक्रय का कोई लाइसेन्स दिए जाने से पूर्व अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया तथा सुनिश्चित किए जाने वाले विषयों को विहित करने के लिए ;

(छ) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को किसी [1][मादक वस्तु] का विक्रय करने का निषेध करने के लिए ;

(ज) साक्षियों को खर्चा देने और समय की हानि के लिए उन व्यक्तियों को, जो धारा 49 के अधीन इस आधार पर छोड़े गए हों कि उन्हें अनुचित रूप से गिरफतार किया गया था और उन व्यक्तियों को, जिन पर मैजिस्ट्रेट के समक्ष इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का आरोप लगाया गया हो, किन्तु वे दोषमुक्त हो गए हों, प्रतिकर देने के लिए;

(झ) धारा 49 के उपबन्धों के अधीन दूर से साक्षियों को आहूत करने की आबकारी अधिकारियों की शक्ति को विनियमित करने के लिए ;

(ञ) उन आबकारी अधिकारियों को, जिन्हें तथा उस रीति को, जिसके अनुसार धारा 56 के अधीन सूचना या सहायता दी जानी चाहिए, घोषित करने के लिए ;

(ट) अपने व्यवसाय में किसी भी हैसियत से सहायता देने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को लाइसेन्स धारक द्वारा सेवायोजित किए जाने का निषेध करने के लिए ;

(ठ) लाइसेन्स प्राप्त किसी भू–गृहादि में या उसके समीप नशे में रहने, जुआ खेलने और उत्पाती आचरण करने को और ऐसे भू–गृहादि में दुश्चरित्र व्यक्तियों के एकत्र हीन या रहने को रोकने के लिए ।

[2][(ड़) अधिनियम के अधीन वसूल की गई शमन फीस में से उसके पचास प्रतिशत तक कलेक्टर द्वारा, वसूल किये गये अर्थदण्ड में से उसके पचास प्रतिशत तक मामले पर विचारण करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा, अधिकारिकों, अधिकारियों या इत्तिला देंने वालो को इनाम देने के लिये ।]

(3) [3][* * * *]

आबकारी आयुक्त को नियम बनाने की शक्ति

41–[4][आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित के लिए नियम बना सकता है ––]

(क) किसी [1][मादक वस्तु] के निर्माण, सम्भरण, भण्डारकरण या विक्रय को, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, विनियमित करना ––

(1) ऐसे पदार्थ के निर्माण, सम्भरण, भण्डारकरण या विक्रय के लिये किसी स्थान का परिनिर्माण करना, उसमें परिवर्तन करना, उसकी मरम्मत करना, उसका निरीक्षण, पर्यवेक्षण, प्रबन्ध करना और उस पर नियंत्रण रखना तथा उसमें अनुरक्षित किये जाने वाले उपस्कर, औजार और उपकरण ;

(2) भांग के पौधे (कैनेविस सैटाइवा) की खेती करना ;

---

1. एडेप्टेशन आफ आर्डर, 1937 द्वारा (एक्साइजएबूल आर्टिकल) के लिए प्रतिस्थापित ।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 13, 1979 ई० की धारा 4(ङ) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 30, 1972 ई० की धारा 4 द्वारा निकाला गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1923 की धारा 12 द्वारा शब्द (दि चीफ रेवेन्यू अथारिटी में मेक रूल्स) के लिए प्रतिस्थापित ।

(3) भांग के पौधे (कैनेबिस सैटाइवा) के उन भागों का संग्रहण करना जिनसे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता हो और उनसे किसी मादक भेषज का निर्माण करना;

(ख) किसी [1][मादक वस्तु] को भाण्डागार में जमा किये जाने को और किसी ऐसे भाण्डागार से या किसी आसवनी [2][यवासवनी या विनिर्माणशाला] से किसी [1][मादक वस्तु] के हटाये जाने को विनियमित करना ;

[3][(ग) किसी [1][मादक वस्तु] के किसी लाइसेंस, परमिट या पास के लिए जिसमें धारा 24 या धारा 24–क के अधीन किसी एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिए दिया गया कोई प्रतिफल भी सम्मिलित है, या उसके भण्डारकरण के लिए देय फीस का माप–मान या उसे निश्चित करने की रीति विहित करना;]

[4][प्रतिबन्ध यह है कि इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह राज्य सरकार को, समय–समय पर अधिसूचना द्वारा कोई ऐसा विशेषाधिकार स्वीकृत किये जाने के प्रतिफल के भाव के रूप में कोई फीस, जिसके अन्तर्गत विक्रय (वेण्ड) फीस भी है, लगाने से रोकती है।]

स्पष्टीकरण–– विभिन्न वर्गो के लाइसेन्स, परमिट, पास या भण्डारकरण के लिये तथा विभिन्न क्षेत्रों के निमित्त इस उप–खण्ड के अधीन फीस विभिन्न दरों पर विहित की जा सकती है ।

[5][(2) ऐसी फीस या प्रतिफल निश्चित करने की रीति के अन्तर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक रीति भी है, अर्थात् :––

(1) नीलाम,

(2) टेण्डर आमन्त्रित करना,

(3) लाइसेन्स, परमिट या पास के अधीन किये गये विक्रय या उठाये गये कोटा के आधार पर निर्धारण।][5]

(घ) किसी उत्पाद–शुल्क या फीस के भुगतान का समय, स्थान और रीति को विनियमित करना ;

(ङ) उन निर्बन्धनों को, जिनके अधीन तथा उन शर्तों को जिनके अनुसार कोई लाइसेन्स, परमिट या पास दिया जा सकता है, जिनमें निम्नलिखित विषयों के लिये व्यवस्था सम्मिलित है, विहित करना ––

(1) किसी [1][मादक वस्तु] के साथ किसी ऐसी वस्तु को, जो दुर्गन्धयुक्त और आपत्तिजनक समझी जाय, सम्मिलित करने का निषेध करना ;

(2) किसी लाइसेन्स प्राप्त निर्माता या लाइसेन्स प्राप्त विक्रेता द्वारा किसी शराब की उच्च सान्द्रता को कम करके उसे निम्न सान्द्रता का बनाने की विनियमित करना या उसका निषेध करना ;

(3) उस सान्द्रता, मूल्य या परिमाण को जिससे अधिक या कम किसी [1][मादक वस्तु] का विक्रय या सम्भरण न किया जायगा तथा उस परिमाण को जिससे अधिक विकृत स्प्रिट कब्जे में न रखी जा सकेगी, निश्चित करना तथा किसी [1][मादक वस्तु] के गुण का, मानदण्ड विहित करना ;

(4) नकद विक्रय के सिवाय अन्यथा विक्रय का निषेध करना ;

---

1. एडेप्टेशन आफ आर्डर, 1937 द्वारा (एक्साइजएबूल आर्टिकल) के लिए प्रतिस्थापित ।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1997 ई० की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1976 की धारा 2(iv) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 13, 1979 ई० की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।
5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 13, 1979 ई० की धारा 5 (ii) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(5) उन दिनों या घंटो को निश्चित करना जिनमें कोई लाइसेन्स प्राप्त भू–गृहादि खुले रखे जाये या खुले न रखे जाये और ऐसे भू–गृहादि को विशेष अवसरों पर बन्द रखना ;

(6) उन भू–गृहादि के स्वरूप का विशिष्ट विवरण जिनमें किसी [1][मादक वस्तु] का विक्रय किया जाय तथा ऐसे भू–गृहादि में प्रदर्शित किये जाने वाले नोटिस ।

(7) लाइसेन्स धारकों द्वारा रखे जाने वाले लेखे का प्रपत्र तथा उनके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां ; और

(8) लाइसेन्सों के अन्तरण का विनियमन ;

(च) (1) उस प्रक्रिया को घोषित करना जिसके अनुसार [2][* * *] भारत में निर्मित स्प्रिट विकृत की जायगी ;

(2) अपने अधिकारियों के अभिकरण द्वारा या उनके पर्यवेक्षण में ऐसी स्प्रिट को विकृत कराना ;

(3) यह सुनिश्चित करना कि ऐसी स्प्रिट विकृत की गई है या नहीं ;

(छ) किसी ऐसी [1][मादक वस्तु] को, जो प्रयोग के लिये अयोग्य समझी जाय, नष्ट करने की या अन्य प्रकार से उसके निस्तारण की व्यवस्था करना ;

(ज) जब्त किये गये पदार्थो के निस्तारण को विनियमित करना ।

अध्याय–8

ताड़ी के निर्माण सम्भरण और विक्रय के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

42–सिवाय इस लाइसेन्स के प्राधिकारी तथा उसके निबन्धनों और शर्तो के अधीन रहते हुए जो कलेक्टर द्वारा तदर्थ या धारा 45 के उपबन्धों के अधीन दिया जाय, उन स्थानीय क्षेत्रों में जहां [3][राज्य सरकार] इस प्रकार अधिसूचित करे –– **ताड़ी का निर्माण**

(क) ताड़ी पैदा करने वाला कोई वृक्ष छिद्रित न किया जायगा ।

(ख) किसी वृक्ष से ताड़ी न निकाली जायगी ।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र में [3][राज्य सरकार] अधिसूचना द्वारा यह [4]घोषित कर सकती है कि ये उपबन्ध उन वृक्षों पर लागू न होंगे जो ऐसी विशेष दशाओं में, जो आबकारी आयुक्त द्वारा विहित की जायें, छिद्रित किये गये हों या जिनसे ताड़ी निकाली गई हो ।

43–यथापुर्वोक्त किसी ऐसे क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी वृक्ष से निकाली गई ताड़ी का अधिकार प्राप्त हो उस ताड़ी का बिना लाइसेन्स के विक्रय ऐसें व्यक्ति को कर सकता है जिसे इस अधिनियम के अधीन ताड़ी का निमार्ण करने या विक्रय करने का लाइसेन्स प्राप्त हो । **ताड़ी का विक्रय**

---

1. एडेप्टेशन आफ आर्डर, 1937 द्वारा (एक्साइजएबुल आर्टिकल) के लिए प्रतिस्थापित ।
2. एडेप्टेशन आफ आर्डर, 1950 द्वारा शब्द (बृटिश) निकाला गया ।
3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नगमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित जो एडेंप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था ।
4. अधिसूचना संख्या 588/13––85, दिनांक 13 जुलाई, 1910 के अधीन इस धारा के प्राविधान सम्पूर्ण प्रदेश में प्रवृत्त किये गये थे । गजट 1910 भाग एक पृष्ठ 743 देखिये ।

धारा 42 के उपबन्धों से उस क्षेत्र को जिसमें ताड़ी के निर्माण, आदि के लिये एकान्तिक विशेषाधिकार दिया गया हो, विमुक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति

44–यदि धारा 24 के उपबन्धों के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र में ताड़ी निर्मित करने, सम्भरित करने या उसका विक्रय करने के लिये एकान्तिक विशेषाधिकार का लाइसेन्स दिया गया हो तो [1][राज्य सरकार] अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि धारा 42 के उपबन्ध ऐसे क्षेत्र पर लागू न होंगे ।

ताड़ी के निर्माण के लिये एकान्तिक विशेषाधिकार गृहीता द्वारा लाइसेन्स दिया जाना

45–यदि धारा 24 के अधीन ताड़ी के निर्माण के लिये एकान्तिक विशेषाधिकार का लाइसेन्स दिया गया हो, तो [1][राज्य सरकार] यह घोषित कर सकती है कि ताड़ी निकालने के लिये लाइसेन्स गृहीता की लिखित अनुज्ञा का वही बल और प्रभाव होगा जो धारा 42 के अधीन कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिये दिये गये लाइसेन्स का हो ।

ताड़ी पर उत्पाद–शुल्क

46–धारा 42 के अधीन दिये गये किसी लाइसेन्स के अधीन निर्मित किसी ताड़ी पर कोई उत्पाद–शुल्क ऐसी दर या दरों पर जैसा कि [1][राज्य सरकार] निदेश देगी, या तो सामान्यता या किसी निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के लिये लगाया जा सकता है । [2][ऐसा शुल्क प्रत्येक छिद्रित वृक्ष पर या उस वृक्ष पर जिससे ताड़ी निकाली जाय, कर द्वारा लगाया जायगा और इसकी दर धारा 28 की उप–धारा (2) में निर्दिष्ट सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जायेगी और प्रति वृक्ष एक वर्ष या उसके भाग के लिये साठ रूपये से अधिक न होगा।]

नियम बनाने की शक्ति

47–विशेषतः तथा पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, [1][राज्य सरकार] किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें धारा 42 के उपबन्ध लागू किये गयें हो, ताडी पैदा करने वाले वृक्षों के छिद्रण और ऐसे वृक्षो से ताड़ी निकालने, ऐसे वृक्षों को चिन्हित करने और ऐसे चिन्हों के अनुरक्षण को विनियमित करने के लिये नियम बना सकती है ।

अध्याय–9

अधिकारियों आदि की शक्तियां तथा कर्तव्य

निर्माण के तथा विक्रय के स्थानों में प्रवेश करने तथा उनका निरीक्षण करने की शक्ति

48–आबकारी आयुक्त या कलेक्टर, या [3][आबकारी विभाग का कोई अधिकारी] जो उस पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो जिसें [1][राज्य सरकार] विहित करें, या यथाविधि तदर्थ अधिकृत कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे स्थान में जिसमें कोई लाइसेन्स प्राप्त निर्माणकर्ता किसी [4][मादक वस्तु] का निर्माण करता हो या उसका भण्डारकरण करता हो, किसी भी समय दिन अथवा रात्रि में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है और किसी ऐसे स्थान में जिसमें किसी लाइसेन्स प्राप्त व्यक्ति द्वारा कोई [4][मादक वस्तु] विक्रय के लिये रखी जाती हो, ऐसे घंटो के भीतर जब विक्रय करने की अनुज्ञा हो तथा किसी अन्य समय में, जब वह खुला हो, किसी भी समय प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है और ऐसे स्थान में पायें गये किन्हीं सामानों, भभकों, बर्तनों, औजारों, उपकरणों या [4][मादक वस्तु] की जांच कर सकता है, परीक्षण कर सकता है, माप ले सकता है या तौल सकता है और किन्हीं ऐसे मापों, बांटों या परीक्षण–यंत्रों का, जिनके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वे खोटे (असत्य) हैं, अभिग्रहण कर सकता है।

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नगमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित जो एडेंप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था ।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 7, 1970 ई० की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित सदैव से प्रतिस्थापित समझा जाय ।
3. सं० प्रा० अधिनियम सं० 1, 1915 की धारा 2 द्वारा (अदर एक्साइज आफीसर) के लिए प्रतिस्थापित ।
4. एडेप्टेशन आफ आर्डर, 1937 द्वारा (एक्साइजएबूल आर्टिकल) के लिए प्रतिस्थापित ।

इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का अन्वेषण करने की कतिपय अधिकारियों की शक्तियां

49–(1) [कोई पुलिस अधिकारी जो पंक्ति में [1][उप निरीक्षक] से निम्न पंक्ति का न हो तथा आबकारी विभाग का कोई अधिकारी जो उस पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो जिसे [2][राज्य सरकार] विहित करें, इस अधिनिमय के अधीन दण्डनीय किसी ऐसे अपराध [3][का अन्वेषण कर सकता है] जो उस क्षेत्र की परिसीमाओं के भीतर किया गया हो जिसमें ऐसा अधिकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हो ।

(2) [4][कोई ऐसा अधिकारी] ऐसे अन्वेषण के सम्बन्ध में उन्ही शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका थाने का प्रभारी अधिकारी [5][दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 12] के उपबन्धों के अधीन किसी संज्ञेय मामले में प्रयोग कर सकता है और यदि एसा अधिकारी [2][राज्य सरकार] द्वारा तदर्थ विशेष रूप से अधिकृत किया गया हो तो वह बिना किसी मजिस्ट्रेट को अभिदेश किये और उन कारणों से जिन्हें वह लिखित रूप में अभिलिखित करे, किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अग्रेतर कार्यवाही रोक सकता है जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी ऐसे अपराध से, जिसके सम्बन्ध में उसने अन्वेषण किया हो, सम्बन्धित हो या जिसे सम्बन्धित होने की संभावना होने की कल्पना की जाती हो।

गिरफ्तारी करने, अभिग्रहण करने और निरूद्ध करने की शक्ति

50–आबकारी, पुलिस, नमक, अफीम या भू–राजस्व विभाग का कोई भी अधिकारी, जो उस पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो जिसे और ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हे [2][राज्य सरकार] विहित करे और यथाविधि तदर्थ अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति बिना वारन्ट के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो [6][धारा 60, धारा 60क], धारा 62, धारा 63 या धारा 65 के अधीन दण्डनीय [7][अपराध करता हुआ या उसके लिये दुष्प्रेरित करता हुआ] पाया जाये और किसी ऐसी को [7a][मादक वस्तु] या किसी अन्य सामान को अभिगृहीत और निरूद्ध कर सकता है जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के या आबकारी राजस्व से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जब्त किये जाने योग्य है ; और किसी ऐसे व्यक्ति को और किसी ऐसे जलयान, गाड़ी, पशु, संवेष्ठन, पात्र या आवरण को निरूद्ध कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है जिस पर या जिसमें उसे ऐसे सामान के होने का संदेह करने का उचित कारण हो ।

गिरफ्तारी का वारन्ट जारी करने की कलेक्टर की शक्ति

51–कलेक्टर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये वारन्ट जारी कर सकता है जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने [8][धारा 60, धारा 60क], धारा 62, धारा 63 या धारा 65 के अधीन [8][कोई अपराध किया है अथवा उसके लिये दुष्प्रेरित किया है]।

तलाशी का वारन्ट जारी करने की कलेक्टर या मजिस्ट्रेट की शक्ति

52–यदि प्राप्त सूचना के आधार पर कलेक्टर या मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण हो कि [9][धारा 60, धारा 60क] , धारा 62, या धारा 63 या धारा 65 के अधीन कोई दण्डनीय अपराध किया गया है या किये जाने की संभावना है, तो वह किसी ऐसी [7a][मादक वस्तु], सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरणों की तलाशी के लिये वारन्ट जारी कर सकता है, जिसके सम्बन्ध में अभिकथित उपराध किया गया हो या किये जाने की सम्भावना हो ।

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 1978 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था ।
3. सं० प्रा० अधिनियम सं० 1, 1915 की धारा 3 (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 1978 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 5(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 4, 2018 की धारा 5क द्वारा प्रतिस्थापित।

7a. एडेप्टेशन ऑफ आर्डर, 1937 द्वारा (एक्साइजएबुल आर्टिकल) के लिए प्रतिस्थापित।

8. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
9. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

बिना वारन्ट के तलाशी लेने की कलेक्टर या आबकारी विभाग के अधिकारी की शक्ति

53–(1) [जब कभी कलेक्टर को या आबकारी विभाग के ऐसे अधिकारी को जो उस पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो जिसे [1][राज्य सरकार] विहित करे या ऐसे पुलिस अधिकारी को जो पंक्ति में [2][उप निरीक्षक] से निम्न पंक्ति का न हो, यह विश्वास करने का कारण हो कि [3][धारा 60, धारा 61, धारा 62, धारा 63 या धारा 65 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध] किसी स्थान में किया गया है, किया जा रहा है या किए जाने की सम्भावना है और अपराधी को भाग जाने या अपराध का साक्ष्य छिपाने का अवसर दिए बिना तलाशी का वारन्ट प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वह किसी भी समय, दिन अथवा रात्रि में, ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है ;

प्रतिबन्ध यह है कि कलेक्टर से भिन्न [4][कोई अधिकारी] जो इस उपधारा के अधीन कार्यवाही करे, ऐसे स्थान में प्रवेश करने से पूर्व यथापूर्वोक्त अपनें विश्वास के कारणों को अभिलिखित करेगा ।

अभिग्रहण करने, निरूद्ध करने, तलाशी लेने ओर गिरफ्तार करने की अग्रेतर शक्तियां

(2) यथापूर्वोक्त [5][कलेक्टर या अन्य अधिकारी] ऐसे स्थान में पाई गई किसी ऐसी वस्तु को अभिगृहीत कर सकता है जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन जब्त किए जाने योग्य है तथा ऐसे स्थान में पाए गए किसी ऐसे व्यक्ति को निरूद्ध कर सकता है तथा उसकी तलाशी ले सकता है और यदि वह उचित समझे तो, उसे गिरफ्तार कर सकता है जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह यथापूर्वोक्त अपराध का दोषी है ।

गिरफ्तारी, तलाशियों, आदि के सम्बन्ध में प्रक्रिया

54–गिरफ्तारियों, तलाशियों, तलाशी के वारन्टों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को प्रस्तुत करने तथा अपराधों का अन्वेषण करने के सम्बन्ध में [5a][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973] के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन उनके सम्बन्ध में की गई समस्त कार्यवाहियों पर यथाशक्य लागू होंगे ;

[6][प्रतिबन्ध यह है कि धारा 60, धारा 60क, धारा 61, धारा 62, धारा 63, धारा 64क, धारा 65, धारा 68 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध अथवा उक्त धाराओं के अधीन किसी अपराध के दुष्प्रेरण के लिये दण्डनीय किसी अपराध का अन्वेषण, बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश से किया जा सकता है और यह कि धारा 51 अथवा धारा 52 के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी किये गये किसी वारण्ट का निष्पादन, किसी ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जिसे कलेक्टर द्वारा उक्त प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किया जाय।]

[7]**[55**–धारा 60 की उपधारा (2), धारा 60क, धारा 62, धारा 63, धारा 64क और उक्त धाराओं के अधीन किसी अपराध के दुष्प्रेरण के लिये दण्डनीय कोई अपराध, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अर्थान्तर्गत अजमानतीय होगा।]

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित जो एडेंप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था ।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 1978 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 4, 2018 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त द्वारा (ऐन एक्साइज आफिसर) के लिये प्रतिस्थापित ।
5. उपर्युक्त द्वारा (एवरी कलेक्टर आर अदर एक्साइज आफिसर) के लिये प्रतिस्थापित ।
5a. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1978 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।

आबकारी विभाग के अधिकारीयों को अपराधों की सूचना देने तथा उनकी सहायता करने का कतिपय विभागों के अधिकारियों का कर्तव्य

56–पुलिस, नमक, अफीम तथा भू–राजस्व विभाग का प्रत्येक अधिकारी [1][आबकारी विभाग के अधिकारी] को इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के ऐसे समस्त उल्लंघनों की जो उसकी जानकारी में आयें, तुरन्त सूचना देने के लिए और ऐसे अधिकारी द्वारा निवेदन किए जाने पर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में [1][आबकारी विभाग के किसी अधिकारी] की सहायता करने के लिए बाध्य होगा ।

स्वामी, अध्यासी, लेखपाल या ग्राम्य पुलिस कर्मचारियों का कुछ बातों की सूचना देने का कर्तव्य

[2]**[57**–प्रत्येक व्यक्ति जिसके स्वामित्व अथवा अध्यासन में कोई ऐसी भूमि या भवन हो जिस पर या जिसमें किसी मादक वस्तु का कोई अवैध निर्माण हुआ हो, या किन्हीं ऐसे पौधों की कोई अवैध खेती या संग्रहण हुआ हो जिनसे मादक भेषज तैयार किया जा सकता हो और ऐसे स्वामी या अध्यासी का अभिकर्ता, और किसी ऐसे जलयान या गाड़ी का, जिसमें इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल किसी मादक वस्तु का निर्माण किया जाय, प्रत्येक स्वामी, और प्रत्येक लेखपाल अथवा ग्राम्य पुलिस कर्मचारी जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी भूमि या भवन स्थित हो अथवा जलयान या गाड़ी पायी जाय, तत्सम्बन्धी सूचना जानकारी में आने पर, सिवाय उस दशा में जबकि उसके द्वारा ऐसा न करने के लिए उचित कारण हो, तुरन्त ही किसी मजिस्ट्रेट या आबकारी, पुलिस अथवा राजस्व विभाग के किसी अधिकारी को देने के लिए बाध्य होगा।]

थाने के प्रभारी अधिकारी का अभिगृहीत सामानों को प्रभार में लेने का कर्तव्य

58–थाने का प्रत्येक प्रभारी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत समस्त सामानों को जो उसे दिए जायें, किसी मजिस्ट्रेट या कलेक्टर का आदेश होने तक अपने प्रभार में ले लेगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और [3][आबकारी विभाग के किसी ऐसे अधिकारी] को जो ऐसे सामानों के साथ थाने तक जाय या जो इस प्रयोजन के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाय, ऐसे सामानों पर अपनी मुहर लगाने और उनकें तथा उनसे नमूने लेने की अनुज्ञा देगा । इस प्रकार लिए गए समस्त नमूनों पर थाने के प्रभारी अधिकारी की भी मुहर लगाई जायगी ।

लोक शांति के निमित्त दुकानें बन्द करने की शक्ति

59–जिला मजिस्ट्रेट लाइसेन्सधारी को लिखित नोटिस देकर यह अपेक्षा कर सकता है कि कोई भी दुकान जिसमें किसी [4][मादक वस्तु] का विक्रय किया जाता हो ऐसे समयों पर या ऐसी अवधि के लिए बन्द रखी जाय जिसे वह लोक शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे ।

यदि किसी ऐसी दुकान के सामीप्य में कोई दंगा होने की या व्यक्तियों का अवैध जमाव होने की आशंका हो या वह हो जाय तो किसी भी श्रेणी का मजिस्ट्रेट या कांस्टेबिल से उच्च पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी जो उपस्थित हो, ऐसी दुकान को उस अवधि के लिए बन्द रखने की अपेक्षा कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ कोई ऐसा दंगा हो जाय या व्यक्तियों का अवैध जमाव हो जाय तो लाइसेन्सधारी ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में, बिना किसी आदेश के अपनी दुकान बन्द कर देगा ।

---

1. सं० प्रा० अधिनियम सं० 1, 1915 की धारा 3 द्वारा (एक्साइज आफिसर) के लिये प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 23, 1970 की धारा 57 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. सं० प्रा० अधिनियम सं० 1, 1915 की धारा 2 द्वारा (एक्साइज आफिसर) के लिये प्रतिस्थापित।
4. एडेप्टेशन आफ आर्डर, 1937 द्वारा (एक्साइजएबूल आर्टिकल) के लिए प्रतिस्थापित।

अध्याय – 10

अपराध और शास्तियां

अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, कब्जा, विक्रय आदि के लिए शास्ति

[1][**60**–(1) जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या आदेश अथवा तद्धीन प्राप्त किसी लाइसेन्स, परमिट या पास का उल्लघंन करके, ––

(क) किसी मादक वस्तु का निर्यात करता है, अथवा

(ख) इस अधिनियम की धारा 63 के अधीन अनाच्छादित किसी मादक वस्तु का परिवहन करता है या उसे कब्जे में रखता है ; अथवा

(ग) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन आच्छादित चरस, गांजा या किसी अन्य मादक औषधि से भिन्न प्राकृतिक एवं स्वतः उपज वाले जंगली भारतीय भांग (केनेबिस सेटाइवा) के पौधे की पत्तियां और छोटे डण्ठल (जिनमें फूलो या फलो के अग्रभाग सम्मिलित नहीं है) का संग्रह या विक्रय करता है ; अथवा

(घ) कोई आसवनी "यवासवनी, विनिर्माणशाला" या द्राक्षासवनी निर्मित करता है या चलाता है ; या

(ङ) किसी प्रकार का कोई सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरण, ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के विनिर्माण के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त करता है या अपने पास या अपने कब्जे में रखता है ; अथवा

(च) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त, स्थापित या चालू किसी आसवनी, "यवासवनी, विनिर्माणशाला", द्राक्षासवनी या भाण्डागार से कोई मादक वस्तु हटाता है ; अथवा

(छ) विक्रय के प्रयोजन के लिये किसी शराब को बोतल में बन्द करता है ;

(ज) धारा 61 द्वारा उपबंधित दशा के सिवाय किसी मादक वस्तु का विक्रय करता है ; अथवा

(झ) धारा 42 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में ताड़ी पैदा करने वाले किन्हीं वृक्षों से ताड़ी चुराता है, या निकालता है ;

तो उसे कारावास से दण्डित किया जायेगा जो उपखण्ड (झ) के अधीन किसी अपराध की स्थिति में दो वर्ष तक हो सकता है और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो एक हजार रूपये तक हो सकता है और किसी अन्य स्थिति में कारावास से दण्डित किया जायेगा जो तीन वर्ष तक का हो सकता है और ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो प्रतिफल शुल्क की धनराशि या शुल्क जो, यदि ऐसी मादक वस्तु के संबंध में इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तद्धीन प्राप्त किसी लाइसेन्स, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गई होती तो उदग्रहणीय होती, के दस गुने या दो हजार रूपये जो भी अधिक हो, से कम न होगी ।

(2) जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी लाइसेन्स, परमिट या पास का उल्लंघन करके, किसी मादक वस्तु का निर्माण करता है, उसे कारावास जो छः मास से कम नहीं होगा और जो तीन वर्ष तक हो सकता है, का दण्ड दिया जायेगा और उसे जुर्माने का भी दण्ड दिया जायेगा जो पाँच हजार रूपये से कम नही होगा और जो दस हजार रूपये तक हो सकता है ।

(3) जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये आदेश का उल्लघंन करके किसी मादक वस्तु का उपभोग करता है, उसे जुर्माने का दण्ड दिया जायेगा जो एक हजार रूपये से कम नहीं होगा और जो दो हजार रूपये तक हो सकता है ।]

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अपायकर पदार्थ को मादक वस्तु में मिश्रित करने के लिये तथा अपायकर पदार्थ को मादक वस्तु की ओट में बिक्री करने के लिये शास्ति

[1][**60–क**–जो कोई किसी मादक पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ या विजातीय द्रव्य से उसे अपायकर करने हेतु मिश्रित करता है या मिश्रित करने देता है या ऐसे अपायकर मादक वस्तु या किसी अन्य अपायकर पदार्थ का किसी मादक वस्तु की ओट में उपभोग हेतु विक्रय करता है, उसे प्रदान करता है या विक्रय करवाता है या करने देता है या उपलब्ध करवाता है, जिससे मानव को विकलांगता या उपहति या घोर उपहति या मृत्यु या कोई अन्य परिणामी क्षति होना सम्भावित हो, को दण्डित किया जायेगा, ––

(क) यदि ऐसे किसी कृत्य के फलस्वरूप मृत्यु होती है, तो उसे मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने, जो दस लाख रूपये तक हो सकता है, किन्तु जो पाँच लाख रूपये तक हो सकता है, किन्तु तीन लाख रूपये से कम न होगा ;

(ख) यदि ऐसे किसी कृत्य के फलस्वरूप विकलांगता या घोर उपहति होती है, तो आजीवन कारावास अथवा कठोर कारावास से जो दस वर्ष तक हो सकता है किन्तु छः वर्ष से कम न होगा, और जुर्माना से, जो पाँच लाख रूपये तक हो सकता है, किन्तु तीन लाख रूपये से कम न होगा ;

(ग) यदि ऐसे कृत्य के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को कोई उपहति या कोई अन्य परिणामी क्षति पहुँचती है, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक हो सकता है, किन्तु एक वर्ष से कम न होगा और जुर्माना से, जो दो लाख पचास हजार रूपये तक हो सकता है किन्तु एक लाख पच्चीस हजार रूपये से कम न होगा ।

स्पष्टीकरण :–– इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "उपहित" या "घोर उपहति" के अर्थ वही होंगे जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की क्रमशः धारा 319 एवं 320 में है ।]

60–ख– कोकीन से सम्बन्धित अपराधों से प्रविरत रहने के लिए प्रतिभूति] * * *[2]

[इक्कीस][4] वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के हाथ अवैध रूप से बेचने अथवा [इक्कीस][4] वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों या महिलाओं को सेवायोजित करने के लिए शास्ति

[3][**61–क**–– यदि कोई लाइसेन्स प्राप्त विक्रेता अथवा उसके सेवायोजन में और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति ––

(क) धारा 22 का उल्लंघन करके कोई शराब या मादक भेषज किसी ऐसे व्यक्ति को बेचता है या देता है जो स्पष्टतः [इक्कीस][4] वर्ष से कम आयु का हो ; या

(ख) धारा 23 का उल्लंघन करके अपने लाइसेन्स प्राप्त भू–गृहादि के किसी भाग में जिसका उल्लेख उक्त धारा में किया गया है, [इक्कीस][4] वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति, को या किसी महिला को, सेवायोजन में रखता है अथवा सेवायोजित करने की अनुज्ञा देता है तो उसे अर्थ दण्ड दिया जायगा जो एक हजार रूपये तक हो सकता है।]

[5][**62**–जो कोई किसी ऐसी स्प्रिट को, चाहे वह भारत में निर्मित हुई हो या नहीं जो विकृत हो गया हो मानव उपभोग के योग्य बनाता है या बनाने का प्रयास करता है या कब्जे में कोई ऐसी विकृत स्प्रिट रखता है जो मानव उपभोग के योग्य बनाई गई हो या जिसके संबंध में उसे इस योग्य बनाने का कोई प्रयास किया गया हो उसे ऐसी अवधि के

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 12 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. 60–ख जो सं० प्रा० अधिनियम संख्या 4, 1919 की धारा 4 द्वारा अन्तर्विष्ट थी अधिनियम संख्या 2, 1930 की धारा 40 अनुसूची 2 द्वारा निकाली गयी ।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 23, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 1978 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 1978 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।

लिये जो छः मास से कम नहीं होगी और जो तीन वर्ष तक हो सकती है, कारागार का दण्ड दिया जायेगा और वह अर्थदण्ड से [1][जो पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ यह उपधारणा की जायेगी कि कोई स्प्रिट जिसके बारे में यह साबित हो जाये कि उसमें किसी मात्रा में विकारक तत्व है, विकृत स्प्रिट है या उसमें विकृत स्प्रिट मिला है या वह विकृत स्प्रिट से व्युत्पन्न है।]

[2][मादक वस्तु के अवैध आयात के लिये शास्ति]

[2]**[63**—जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करके अवैध रूप से आयातित किसी मात्रा में मादक वस्तु का परिवहन करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, उसे ऐसे कारावास से, जो छः मास से कम नहीं होगा और जो पाँच वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माना से जो धारा 30 के अधीन उत्पाद शुल्क या प्रतिफल शुल्क की धनराशि जो, यदि किसी मादक वस्तु के संबंध में इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तद्धीन प्राप्त लाइसेन्स, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उदग्रहणीय होती, के, दस गुने या पाँच हजार रूपये, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा।]

लाइसेंसधारी या उसके सेवक द्वारा कतिपय कार्यो के लिये शास्ति

[3]**[64**—जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस, परमिट या पास का धारक होते हुये या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुये, और उसकी ओर से कार्य करते हुये ––

(क) किसी आबकारी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर, जो इस प्रकार माँगने के लिये सम्यक रूप से अधिकृत हो, ऐसा लाइसेंस, परमिट या पास प्रस्तुत नहीं करता है, या

(ख) लाइसेंस, परमिट या पास की किन्हीं शर्तो का उल्लघंन करके जानबूझ कर कोई ऐसा कार्य या कार्य–लोप करता है जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्ध न हो, या

[4][(ग) ऐसे मामले जिसके लिये धारा 60 में उपबंध है, से भिन्न किसी मामले में धारा 40 एवं 41 के अधीन बनाये गये किसी नियम का जानबूझ कर उल्लघंन करता है, उसे प्रत्येक ऐसे अपराध के लिये जुर्माना, जो एक हजार रूपये से कम नही होगा और जो पाँच हजार रूपये तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा।]

लाइसेंस प्राप्त विक्रेता या निर्माता द्वारा अपमिश्रण आदि के लिये शास्ति

[5]**[64–क––** (1) [6][X X X X]

(2) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी मादक वस्तु के विक्रय या निर्माण के लिये लाइसेंस धारक होते हुये या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुये किसी ऐसी शराब जिसके बारें में वह जानता है या उसे विश्वास करने का कारण है कि वह देशी शराब है,

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।
2 उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3 उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 1978 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4 उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5 उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 1978 की धारा 17 द्वारा बढ़ाया गया ।
6 उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 16 द्वारा निकाला गया ।

उसे कारावास का दण्ड जो तीन वर्ष तक हो सकता है, और अर्थ–दण्ड जो [1][पांच हजार रूपये] तक हो सकता है, दिया जायगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि दण्ड निम्नलिखित से कम न होगा ––

(एक) प्रथम अपराध के लिये तीन मास का कारावास और [2][दो हजार रूपये] का अर्थ–दण्ड, और

(दो) प्रत्येक द्वितीय और अनुवर्ती अपराधों के लिये छः मास का कारावास और [3][तीन हजार रूपये] का अर्थ–दण्ड ।]

केमिस्ट की दुकान, आदि में उपभोग करने के लिए शास्ति

[4] **[65**–(1) यदि कोई केमिस्ट, औषधि विक्रेता, औषधिक (अपोथेकेरी) या कोई औषधालय रखने वाला किसी ऐसी मादक वस्तु को जिसे यथार्थ रूप मे औषधीय प्रयोजन के लिए औषधियुक्त ना किया गया हो, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसके व्यवसाय में सेवायोजित न हो, अपने व्यवसाय के भू–गृहादि में उपभोग किए जाने की अनुज्ञा देता है तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जायगा जो [5][एक वर्ष] तक हो सकता है या अर्थदण्ड दिया जायगा जो [5][पांच हजार रूपयें] तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिए जायेंगे ।

(2) यदि कोई व्यक्ति जो पूर्ववत प्रकार से सेवायोजित न हो ऐसे भू–गृहादि में किसी ऐसी मादक वस्तु का उपभोग करता है तो उसे अर्थ–दण्ड दिया जायगा जो [6][पांच हजार रूपए] तक हो सकता है।

कर्तव्य पालन करने से इंकार करने पर आबकारी अधिकारी के लिए शास्ति

66–किसी ऐसे आबकारी अधिकारी को, जो बिना वैध कारण के अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने से परिविरत हो जाय या उनका पालन करने से इन्कार कर दे या उनका पालन न करे, जब तक आबकारी आयुक्त द्वारा उसे ऐसा करने की अभिव्यक्त रूप में लिखित अनुज्ञा न दी गई हो या जब तक उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को ऐसा करने के अपने अभिप्राय का दो माह का नोटिस न दे दिया हो, कारावास का दण्ड दिया जायगा जो [7][एक वर्ष] तक हो सकता है या अर्थ दण्ड दिया जायगा जो [7][पांच हजार रूपये] तक हो सकता है या दोनो दण्ड दिए जायेंगे।

क्षोभकारी, तलाशी आदि लेने वाले आबकारी अधिकारी के लिए शास्ति

67–यदि कोई आबकारी अधिकारी ––

(क) सन्देह के उचित कारणों के बिना किसी स्थान में प्रवेश करता है, उसका निरीक्षण करता है या उसकी तलाशी लेता है अथवा उसमें प्रवेश करवाता है, उसका निरीक्षण करवाता है या उसकी तलाशी लिवाता है ; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन जब्त किए जाने योग्य किसी पदार्थ को अभिगृहीत करने या उसकी तलाशी लेने के बहाने किसी व्यक्ति की किसी सम्पत्ति को क्षोभकारी और अनावश्यक रूप से अभिगृहीत करता है ; या

(ग) किसी व्यक्ति को क्षोभकारी और अनावश्यक रूप से निरूद्ध करता है, उसकी तलाशी लेता है या उसे गिरफ्तार करता है, तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जायगा जो [8][एक वर्ष] तक हो सकता है या अर्थ दण्ड दिया जायगा जो [8][पांच हजार रूपए] तक का हो सकता है, या दोनों दण्ड दिये जायेंगे ।

[9]**[68**–जो व्यक्ति इस अधिनियम के, अथवा इस अधिनियम के अधीन बनायें गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में किसी कार्य

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 16 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 16ग द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 16ग द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 23, 1970 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 17(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 17(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।
8. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित ।
9. उ० प्र० अधिनियम सं० 23, 1970 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

का या साभिप्राय कार्य लोप का जिसकी इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, दोषी हो, उसे प्रत्येक कार्य या कार्यलोप के लिए अर्थदन्ड दिया जायगा जो [1][पांच हजार रूपए" तक हो सकता है।][2]

[3]**[69**–यदि कोई व्यक्ति धारा 60, धारा 62, धारा 63, या धारा 65 के अधीन या उन धाराओं के उपबंधों के अधीन जैसे कि वे समय–समय पर थे, दण्डनीय किसी अपराध के लिये पहले सिद्ध दोष ठहराये जा चुकने के पश्चात इन धाराओं में से किसी धारा के अधीन दण्डनीय अपराध करता है और सिद्ध दोष ठहराया जाता है, तो वह उस दण्ड से दुगुना दण्ड पाने का भागी होगा जो इस अधिनियम के अधीन पहली दोषसिद्धि पर आरोपित किया जा सकता हो ;

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 60 की उपधारा (1) या धारा 63 या धारा 65 के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये दोष–सिद्ध की स्थिति में अर्थ–दण्ड सहित कम से कम [4][एक वर्ष] की अवधि के कारावास का दण्ड दिया जायगा और धारा 60 की उपधारा (2) या धारा 62 के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये दोष–सिद्ध की स्थिति में अर्थ–दण्ड सहित कम से कम [4][दो वर्ष] की अवधि के कारावास का दण्ड दिया जायगा ;

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसे अपराध के लिये, जिस पर अन्यथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 21 के अधीन सरसरी तौर पर विचार किया जा सकता हो, इस प्रकार विचार किये जाने में रूकावट नहीं डालेगी।]

कतिपय अपराधों को, करने से परिवर्जन के लिए प्रतिभूति की मांग करना

[5]**[69–क**–(1) जब कभी कोई व्यक्ति [6][धारा 60, धारा 60क, धारा 62, धारा 63 या धारा 65] उपबन्धों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष हो, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी सिद्ध करने वाला न्यायालय उसे दण्डादेश देते समय यह आदेश दे सकता है कि वह तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि में, जैसा वह निर्देश दे, उक्त उपबन्धों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करने से परिवर्तन के लिए, प्रतिभूतियों सहित अथवा बिना प्रतिभूतियों के, ऐसी धनराशि का जो, उसके साधनों के अनुपात में हो, एक बन्धपत्र निष्पादित करे ।

अधिनियम संख्या 2, 1974

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, [7][1973] ई० के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसे बन्ध–पत्र से सम्बद्ध समस्त विषयों पर लागू होंगे मानों कि यह बन्ध–पत्र शान्ति बनाए रखने के लिए उक्त संहिता की धारा 106 के अधीन दिए गए आदेश से निष्पादित बन्ध–पत्र हो ।

दुष्प्रेरण के लिए शास्ति
अधि. संख्या 45, 1860

[5]**69–ख**–जो व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 116 में किसी बात के होते हुए भी, दोष–सिद्धि पर ऐसे दुष्प्रेरण के लिए वही दण्ड दिया जायगा, जो मूल अपराध के लिए उपबन्धित है, चाहें ऐसा अपराध ऐसे दुष्प्रेरण के फलस्वरूप किया गया हो अथवा नहीं ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

[5]**69–ग**–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय उसका व्यवसाय चलाने के]

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 23, 1970 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 1978 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 23, 1970की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 1978 की धारा 19ख द्वारा प्रतिस्थापित ।

लिये कम्पनी का प्रभारी तथा उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो और साथ ही कम्पनी भी अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी गयी किसी बात से ऐसा व्यक्ति दण्ड का भागी नहीं होगा यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसा अपराध किये जाने को रोकने के लिये सभी प्रकार का यथोचित परिश्रम किया था ।

(2) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाय कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव, मैनेंजिंग एजेन्ट, सेकेटरीज एवं ट्रेजरर्स अथवा अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस पर उसकी किसी उपेक्षा के कारण अरोप्य हो तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेटरीज एवं ट्रेजरर्स अथवा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जायेगा तथा तदनुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए ––

[1][(ए) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ भी है ; और

(बी) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।]

अपराधों का संज्ञान

70–(1) कोई मजिस्ट्रेट जब तक कि ––

[2][(क) उसकी अपनी जानकारी या सन्देह न हो अथवा किसी आबकारी अधिकारी द्वारा परिवाद या रिपोर्ट न किया जाय, धारा 60, धारा 60क, धारा 62, धारा 63, धारा 64क, धारा 65 या धारा 69 ख के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का ; या]

(ख) कलेक्टर या उसके द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी आबकारी अधिकारी द्वारा परिवाद या रिपोर्ट न की जाय, धारा 64, धारा 66, धारा 67 या धारा 68 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान न करेगा,]

[3][(2) राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति के बिना कोई मजिस्ट्रेट, धारा 60क की उपधारा (क) तथा (ख) एवं धारा 67 के अधीन किये गये अथवा उसके लिये दुष्प्रेरित किसी अपराध से भिन्न इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि अभियोजन, उस दिनांक, जिस दिनांक को अपराध किया जाना अभिकथित हो, के पश्चात् एक वर्ष के भीतर न संस्थित किया जाय।]

कुछ मामलों में अपराधों के किये जाने के सम्बन्ध में उपधारणा

71–[4][धारा 60, धारा 60क] के अधीन प्रत्येक अभियोजन में जब तक इसके प्रतिकूल सिद्ध न कर दिया जाय, वह उपधारणा की जायेंगी कि अभियुक्त व्यक्ति ने निम्नलिखित के सम्बन्ध में उक्त धारा के अधीन दण्डनीय अपराध किया है ––

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 23, 1970 ई० की धारा 11 द्वारा धारायें 69–क, 69–ख, 69–ग बढ़ाई गई ।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 23(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 23(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 24(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) किसी [1][मादक वस्तु] या

(ख) ताड़ी से भिन्न किसी [1][मादक वस्तु] के निर्माण के लिए किसी भी प्रकार के किसी भभके, बर्तन, औजार या उपकरण ; या

(ग) किन्हीं ऐसे सामानों, जिस पर किसी [1][मादक वस्तु] के निमार्ण के सम्बन्ध में प्रक्रिया की गई हो या जिनसे कोई [1][मादक वस्तु] के निर्मित की गई हो, जिन्हें अपने कब्जे में रखने के सम्बन्ध में वह कोई सन्तोषजनक कारण बताने में असमर्थ हो ;

और इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स, परमिट या पास का धारक तथा वास्तविक अपराधी भी [2][धारा 60, धारा 60क,] धारा 62, धारा 63 या धारा 64 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए, जो उसके सेवायोजक में और उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, दण्ड का भागी होगा मानो उस अपराध को उसने स्वयं किया हो, जब तक कि वह यह न सिद्ध कर दे कि ऐसे अपराध को किए जाने से रोकने के लिए उसने सभी सम्यक और उचित पूर्वोपाय किए थे ;

[3][प्रतिबन्ध यह है कि धारा 60क तथा धारा 69ख में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी वास्तविक अपराधी से भिन्न किसी व्यक्ति को जुर्माना देने में व्यतिक्रम के सिवाय कारावास का दण्ड नहीं दिया जायेगा ।]

[4][क्षमा आदि संबंधित उपबन्ध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों पर लागू होंगे]

[4]**[71–क**–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 306 और 308 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त संहिता की धारा 306 में उल्लिखित अपराधों के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।]

कौन सी वस्तुएं जब्त किये जाने योग्य होंगी।

72–(1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया हो तो –

(क) ऐसी प्रत्येक जिसके सम्बन्ध में ऐसा अपराध किया गया हो ;

(ख) ऐसा प्रत्येक भभका, बर्तन, औजार या उपकरण और समस्त सामान जिनके द्वारा उक्त अपराध किया गया हो ;

(ग) प्रत्येक जो विधिपूर्वक आयात की गई हो, जिसका परिवहन किया गया हो, जो निर्मित की गई हो, कब्जे में रखी गई हो या खण्ड (क) के अधीन जब्त की जाने योग्य किसी के साथ–साथ या उसके अतिरिक्त बेंच दी गई हो ;

(घ) प्रत्येक पात्र, संवेष्टन और आवरण जिसमें यथापूर्वोक्त कोई या कोई सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरण हो या ऐसे पात्र या संवेष्टन की किसी अन्य अन्तर्वस्तु (यदि कोई हो) के साथ–साथ पाया जाय ; और

(ङ) प्रत्येक पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन जो ऐसे पात्र या संवेष्टन के लाने ले जाने के लिए प्रयोग किया जाय ;

जब्त किए जाने योग्य होगा ।

[5][(2) जहाँ इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी वस्तु या पशु का अभिग्रहण किया जाय वहां ऐसी सम्पत्ति को अभिग्रहीत एवं निरूद्ध करने वाला अधिकारी, ऐसे

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (एक्साइजेबिल आर्टिकल) के लिए प्रतिस्थापित ।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 24(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 1978 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अभिग्रहण एवं निरुद्धता के दिनांक से तीन कार्य दिवस के भीतर, ऐसी अभिग्रहीत सम्पत्ति, अभिग्रहण ज्ञापन और अन्य सुसंगत दस्तावेजों सहित अधिहरण हेतु विस्तृत रिपोर्ट कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगा । कलेक्टर अधिग्रहण ज्ञापन और अभिग्रहीत सम्पत्ति सहित उक्त रिपोर्ट प्राप्त करने पर तत्काल माल की सुरक्षित अभिरक्षा और भण्डारण हेतु आदेश देगा, जैसा कि वह उचित समझे । यदि अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से कलेक्टर को यह समाधान हो जाय कि कोई अपराध किया गया है जिसके कारण ऐसी वस्तु या पशु उपधारा (1) के अधीन अधिहरण किये जाने का दायी हो गया है, तो वह ऐसी वस्तु या पशु का अधिहरण करने का आदेश दे सकता है चाहें ऐसे अपराध के लिये अभियोजन संस्थित किया गया हो या न किया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी वस्तु (मादक वस्तु को छोड़कर) या पशु की स्थिति में उसके स्वामी को यह विकल्प दिया जायेगा कि वह उसके अधिहरण के बदले में उसका अभिग्रहण किये जाने के दिनांक को उसके बाजार मूल्य से अनधिक जुर्माना का भुगतान करे, जिसे कलेक्टर पर्याप्त समझे।][1]

[2][(3) जहाँ अभिग्रहण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अभिग्रहीत वस्तु का जिसके अन्तर्गत कोई पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन भी है, निरीक्षण करने पर कलेक्टर की यह राय हो कि कोई ऐसी वस्तु या पशु शीघ्रता से क्षीण और दुर्बल या प्राकृतिक रूप से क्षय होने वाला है या अन्यथा लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, वहां वह ऐसी वस्तु (मादक वस्तु को छोड़कर) या पशु को नीलाम द्वारा या अन्य प्रकार से बाजार मूल्य पर बेचने का आदेश दे सकता है ।

(4) जहां कोई ऐसी वस्तु या पशु को उपर्युक्त प्रकार से बेचा जाय, और ––

(क) उपधारा (2) के अधीन या उपधारा (6) के अधीन पुनर्विलोकन पर कलेक्टर द्वारा अन्ततोगत्वा जब्ती का आदेश न दिया जाय या न बना रहने दिया जाय, या

(ख) उपधारा (7) के अधीन अपील पर दिये गये आदेश में ऐसा अपेक्षित हो, या

(ग) उस अपराध के लिये जिसके सम्बन्ध में वस्तु या पशु का अभिग्रहण किया जाय, अभियोजन संस्थित किये जाने की दशा में न्यायालय के आदेश से ऐसा करना अपेक्षित हो,

वहाँ विक्रय–व्यय की कटौती करने के पश्चात् विक्रय–आगम का भुगतान उसके हकदार व्यक्ति को किया जायगा ।

(5) (क) इस धारा के अधीन जब्ती का आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि उसके स्वामी या उस व्यक्ति को जिससे अभिगृहीत किया जाय ––

(1) ऐसे आधार सूचित करते हुये जिन पर इस प्रकार जब्ती प्रस्तावित है, कोई लिखित नोटिस ;

(2) ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, लिखित अभ्यावेदन देने का अवसर, और

(3) उस विषय में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर ;

न दे दिया जाय ।

(ख) किसी पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन को जब्त करने का कोई आदेश नहीं दिया जायगा यदि उसका स्वामी कलेक्टर के संतोषानुसार यह साबित कर दे कि पशु, गाड़ी,

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 4, 2018 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 13, 1979 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।

जलयान या अन्य वाहन का प्रयोग उसके स्वामी, अभिकर्ता, यदि कोई हो, और प्रभारी व्यक्ति की जानकारी या मौनानुमति के बिना, विनिषिद्ध माल को ले जाने के लिये किया गया था और इनमें से प्रत्येक ने इस प्रकार प्रयोग किये जाने के विरुद्ध सभी युक्तियुक्त और आवश्यक पूर्वोपाय किये थे और इस उपबंध का कोई प्रतिकूल प्रभाव खंड (क) के उपबन्धों पर नहीं पड़ेगा।

(6) जहाँ उपधारा (2) के अधीन दिये गये जब्ती के किसी आदेश से एक मास के भीतर कलेक्टर को, इस निमित्त आवेदन–पत्र दिये जाने पर या, यथास्थिति, उक्त उपधारा के अधीन जब्ती से इन्कार करने के आदेश से एक मास के भीतर अभिगृहीत वस्तु या पशु के स्वामी को या उस व्यक्ति को जिसके कब्जे से उसे अभिगृहीत किया गया हो, कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से यह कारण बताने का नोटिस जारी करने के पश्चात् कि क्यों न आदेश का पुनर्विलोकन किया जाय और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि अभिलेख को देखने से ही यह प्रकट होता है कि आदेश में कोई भूल है जिसके अन्तर्गत विधि सम्बन्धी भूल भी है, वहां वह पुनर्विलोकन करके ऐसा आदेश दे सकता है, जिसे वह उचित समझे ।

(7) उपधारा (2) या उपधारा (6) के अधीन जब्ती के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उसे ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर, ऐसे न्यायायिक प्राधिकारी को अपील कर सकता है जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे और न्यायिक प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की जाय, पुष्टि, परिष्कार या विखंडन करने का ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।

(8) जहाँ ऐसे अपराध के लिये जिसके संबंध में ऐसी जब्ती का आदेश दिया गया हो, अभियोजन संस्थित किया जाये, वहाँ उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उस वस्तु या पशु का निस्तारण न्यायालय के आदेश के अनुसार किया जायगा।

(9) इस धारा के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया जब्ती का कोई आदेश ऐसे किसी दण्ड के आरोपण से निवारित नहीं करेगा जिसके लिये उससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन भागी हो।][1]

जब्ती के सम्बन्ध में अग्रेतर उपबन्ध

73–जब धारा 72 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित कोई वस्तु ऐसी परिस्थितियों में पाई जाय जिनसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उस वस्तु के सम्बन्ध में या उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया है या जब ऐसा अपराध किया गया हो और अपराधी अज्ञात हो या वह न मिल सकें, तो कलेक्टर ऐसी वस्तु या उसके साथ पायी गई या प्रयुक्त कोई अन्य वस्तु या पशु को जो धारा 72 की उपधारा (1) में की गई व्यवस्था के अनुसार जब्त किए जाने योग्य हो, जब्त करने का आदेश दे सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा आदेश तब तक न दिया जायगा जब तक कि प्रश्नगत वस्तु या पशु के जब्त किए जाने के दिनांक से एक माह, की अवधि न बीत जाय या उस व्यक्ति की (यदि कोई हो), जो उसके सम्बन्ध में किसी अधिकारी का दावा करे और उस साक्ष्य की (यदि कोई हो), जो वह अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत करे, सुनवाई न कर ली जाय :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्रश्नगत वस्तु शीघ्रतापूर्वक और प्राकृतिक रूप से क्षय होने वाली हो या यदि कलेक्टर की यह राय हो कि प्रश्नगत वस्तु या पशु का विक्रय

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 13, 1979 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।

उसके स्वामी के लाभार्थ होगा तो कलेक्टर किसी भी समय उसका विक्रय किए जाने का निदेश दे सकता है ; और इस धारा के उपबंध ऐसे विक्रय के शुद्ध आगम पर यथाशक्य लागू होंगे।

अधिहरण मादक वस्तु को नष्ट करने का आदेश

[1][**73–क–**जहाँ धारा 72 या धारा 73 के अधीन कोई मादक वस्तु का अधिहरण किया जाय, वहाँ किसी न्यायालय द्वारा उस निमित्त दिये गये किसी आदेश के अध्यधीन, यदि कलेकटर की राय में अधिहरण की गयी मादक वस्तु मानव उपभोग योग्य नहीं है अथवा यदि अधिहरण की गयी मादक वस्तु को भण्डारित अथवा परिरक्षित नहीं किया जा सकता है, तो वह इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी उक्त मादक वस्तु को नष्ट किये जाने का आदेश दे सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त मादक वस्तु को अधिहरण किये जाने के दिनांक से दो मास की समाप्ति के पश्चात् के सिवाय या जहाँ अधिहरण के आदेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन या किसी अपील हेतु आवेदन–पत्र, इस सम्बन्ध में ऐसे पुनर्विलोकन या अपील में पारित आदेश के अनुसार के सिवाय लम्बित हो, नष्ट नहीं किया जायेगा ;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन मादक वस्तु नष्ट किये जाने हेतु कोई आदेश, उस व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से मादक वस्तु बरामद किया गया हो, को 7 दिन की नोटिस के पश्चात् सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित नहीं किया जायेगा;

प्रतिबन्ध यह भी है कि मादक वस्तु का पर्याप्त नमूना साक्ष्यिक अपेक्षाओं की पूर्ती के लिये परिरक्षित किया जायेगा।]

अपराधों का शमन

[2][**74**–(1) कोई आबकारी अधिकारी जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया हो, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका लाइसेंस, परमिट या पास धारा 34 के अधीन निरसित या निलम्बित किये जाने योग्य हो या जिसके सम्बन्ध में युक्तियुक्त सन्देह हो कि उसने धारा 64 या धारा 68 के अधीन दण्डनीय अपराध किया है, यथास्थिति, ऐसे निरसन या निलम्बन के बदले में या किये गये अपराध के शमन के रूप में [3][पचास हजार रूपये] से अनधिक धनराशि स्वीकार कर सकता है और ऐसे सभी मामलों में जिसमें इस अधिनियम के अधीन जब्त की जाने योग्य कोई सम्पत्ति अभिगृहीत की गयी हो, उस सम्पत्ति के (ऐसे अधिकारी द्वारा अनुमानित) मूल्य का भूगतान किये जाने पर छोड़ सकता है ।

[4][(1–क) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई अधिकारी, राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुये, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, जहां अन्तर्ग्रस्त मादक वस्तु का का परिणाम राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित परिमाण से अधिक न हो, वहां धारा 60 की उपधारा (1) के [5][खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन] या धारा 63 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, या धारा 60 की उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का, शमन फीस के रूप में

---

1 उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित।

2 उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 1978 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3 उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 27(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

4 उ० प्र० अधिनियम सं० 13, 1979 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया ।

5 उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 27(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

ऐसी धनराशि का, जिसे वह उचित समझे और जो [1][एक हजार रूपये जो पाँच हजार रूपये तक हो सकती है] भुगतान करने पर, शमन कर सकता है, यदि ऐसा कोई अपराध किसी व्यक्ति द्वारा पहली बार किया गया हो।]

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, ऐसे धनराशि या ऐसे मूल्य या दोनो का भुगतान कर दिये जाने पर उस व्यक्ति को, यदि अभिरक्षा में हो, निर्मुक्त कर दिया जायगा और अभिगृहीत समस्त सम्पत्ति छोड़ दी जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की जायगी न जारी रखी जायगी । शमन के रूप में ऐसी धनराशि स्वीकार करने को दोषमुक्त समझा जायेगा और किसी भी स्थिति में ऐसे व्यक्ति या सम्पत्ति के विरूद्ध उसी कार्य के अभिदेश में कोई अग्रतर कार्यवाही नही की जायगी ।

शास्ति आरोपण

[2][**74–क**–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस, परमिट या पास का धारक या ऐसे धारक का कोई कर्मचारी लाइसेंस, परमिट या पास की किन्हीं शर्तों या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई आबकारी अधिकारी [3][एक लाख रुपये] से अनधिक की शास्ति आरोपित कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति आरोपित करने का कोई आदेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि लाइसेन्स, परमिट या पास के धारक या सम्बद्ध कर्मचारी को ––

(क) उन आधारों को जिन पर इस धारा के अधीन कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है, सूचित करते हुये लिखित नोटिस न दे दी गयी हो ;

(ख) ऐसे समय के भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे आधार के विरूद्ध लिखित रूप में अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ; और

(ग) मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(3) कोई व्यक्ति जिस पर उपधारा (1) के अधीन शास्ति आरोपित की जाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में उन्हीं तथ्यों पर अभियोजित नहीं किया जा सकेगा।]

अध्याय – 11

प्रकीर्ण

औषधियुक्त पदार्थो के सम्बन्ध में अपवाद

75–इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबन्धों की कोई बात सिवाय वहाँ तक जहाँ तक [4][राज्य सरकार] अधिसूचना द्वारा ऐसा निदेश दे, चिकित्सा व्यवसायियों, केमिस्टों, औषधि विक्रेताओं, औषधिकों या औषधालय रखने वालों द्वारा औषधीय प्रयोजनों के निमित्त किसी वास्तविक औषधियुक्त पदार्थ का आयात किये जाने, निर्माण किये जाने, उसे कब्जे में रखे जाने, उसका विक्रय या संभरण किये जाने पर लागू न होगी ।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 27ख द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 1978 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. एडेप्टेशन ऑफ लाज आर्डर 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेण्ट) के लिए प्रतिस्थापित।

व्यक्तियों तथा मादक वस्तुओं की इस अधिनियम के उपबन्धों से विमुक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति

76–[1][राज्य सरकार] अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें वह विहित करना उचित समझे, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को या किसी [2][मादक वस्तु] को इस अधिनियम के सभी उपबन्धों या उनमें से किन्हीं उपबन्धों के या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियमों या उनमें से किन्हीं नियमों के प्रवर्तन से या तो संपूर्ण [3][उत्तर प्रदेश] में या तदअन्तर्गत समाविष्ट किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में या किसी निर्दिष्ट अवधि या अवसर के लियें पूर्णतः या अंशतः [4][विमुक्त] कर सकती है ।

नियमों तथा अधिसूचनाओं का प्रकाशन

77–इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम तथा जारी की गयी समस्त अधिसूचनायें [5][सरकारी गजट] में प्रकाशित की जायेंगी और वे इस प्रकार प्रभावी होंगी मानो वे इस अधिनियम में ऐसे प्रकाशन के दिनांक से या ऐसे अन्य दिनांक से जो तदर्थ निर्दिष्ट किया जाय, अधिनियमित हुई हों ।

[6][प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा या किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, राज्य सरकार द्वारा धारा 28 और 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी की गई अधिसूचना संख्या 3514 ई/तेरह –331–78, दिनांक 17 अप्रैल, 1978 और 1227–ई/तेरह 332–78, दिनांक 17 अप्रैल, 1978 और उपर्युक्त अधिसूचनाओं द्वारा किये गये संशोधन, 1 अप्रैल, 1978 को ओर से प्रवृत्त होंगे और सदैव 1 अप्रैल, 1978 को ओर से प्रवृत्त समझे जायेंगे।]

[7][अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा में या किसी संविदा, निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा धारा 30 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके जारी की गयी अधिसूचना संख्या 3842ई/तेरह–512–83, दिनांक 25 मई, 1983 पहली अप्रैल, 1983 को और उसी दिनांक से प्रभावी होगी और सदैव से प्रभावी समझी जायेगी।]

कतिपय वादों पर रोक

78–(1) इस अधिनियम के या आबकारी राजस्व से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिये आदिष्ट किसी कार्य के विषय में क्षतिपूर्ति के लिये [8][सरकार] के या किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद किसी सिविल न्यायालय में प्रस्तुत न किया जा सकेगा ।

(2) कोई सिविल न्यायालय किसी ऐसे वाद पर जो इस अधिनियम के अनुसरण में की गई अथवा की गई अभिकथित किसी बात के संबंध में [8][सरकार] के विरूद्ध विधि पूर्व के लाया जा सकता हो, विचारण नहीं करेगा जब तक कि वह वाद परिवादित कार्य के दिनांक के पश्चात् छः माह के भीतर संस्थित न किया जाय ।

आबकारी आयुक्त की समय–समय पर प्रयोक्तव्य शक्तियां

79–इस अधिनियम द्वारा [9][आबकारी आयुक्त] को प्रदत्त कोई शक्ति समय–समय समय–समय पर अवतरानुसार प्रयुक्त की जा सकती है ।

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था
2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (एक्साइजेबिल आर्टिकल) के लिए प्रतिस्थापित ।
3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविसेज) के लिए प्रतिस्थापित ।
4. विमुक्त की अधिसूचनाओं के लिए उद्देश्य और कारणों के विवरण देखिए ।
5. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (गजट) के लिए प्रतिस्थापित ।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 13, 1979 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उ० प्र० अधिनियम सं० 23, 1984 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
8. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (दि क्राउन) के लिए प्रतिस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया इन कौंसिल) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था ।
9. सं० प्रा० अधिनियम सं० 2, 1923 की धारा 16 द्वारा (चीफ रेवेन्यू अथारिटी) के लिए प्रतिस्थापित ।

अनुसूची

निरसित अधिनियमितियों

(धारा 2 देखिये)

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
		सपरिषद् गवर्नर जनरल के ऐक्ट्स	
1863	16	द एक्साइज (स्प्रिट्स) ऐक्ट, 1863	संपूर्ण ऐक्ट जहाँ तक वह (उत्तर प्रदेश पर) प्रभावी होता है ।
1894	8	द इंडियन टैरिफ ऐक्ट, 1894	धारा 6 जहाँ तक वह (उत्तर प्रदेश पर) प्रभावी होती है ।
1896	12	द एक्साइज ऐक्ट, 1895	संपूर्ण ऐक्ट जहाँ तक वह (उत्तर प्रदेश पर) प्रभावी होता है ।
1906	7	द एक्साइज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 1906	तदैव